INSTITUTE OF JUDICIAL TRAINING AND RESEARCH
UTTAR PRADESH
LUCKNOW
RESEARCH PAPER

QUANTIFICATION OF SENTENCES IN RAPE CASES

A.B. HAJELA
H.J.S.
Director

A.K. SRIVASTAVA
U.P. Nyayik Sewa
Dy. Director
(Administration)

शोध-पत्र

बलात्कार के मामलों में दण्डादेश का युक्तिसंगतीकरण

अवध बिहारी हजेला
उच्चतर न्यायिक सेवा
निदेशक

अनिल कुमार श्रीवास्तव
उ.प्र. न्यायिक सेवा
उपनिदेशक
(प्रशासन)

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

A GLANCE

Guilt and punishment do not correspond in between, but respond to a common origin-it being crime. But With a difference. One is purposive, individualistic and despisable , while the other is resultant, socialistic, and pitiable. How to strike an equilibrium between the two-is the sum and substance of this book. For such an industrious work, Mr. Anil Kumar Srivastava, Deputy Director, deserves to be congratulated and complimented.

A.B. HAJELA

DIRECTOR

I.J.T.R.
1/19, Vishwas Khand-I,
Gomtinagar,
Lucknow.
Feb.1994

एक दृष्टि

दोष तथा दण्ड स्वयं के मध्य तत्सम नहीं, अपितु तद्भव हैं- अपराध के। किन्तु कुछ भिन्नता के साथ। एक कार्मिक है, वैयक्तिक है तथा घृणा का पात्र, तो दूसरा पारिणामिक है, सामाजिक है और दया का भाजन। दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाय-यही इस पुस्तक का तत्व एवं सारांश है। ऐसी श्रम-गर्भिता कृति के लिए श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, प्रेय तथा श्रेय दोनों से अभिनन्दनीय हैं।

अक्षय बिहारी रूनेला
निदेशक

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
1/13, विश्वास खण्ड,
गोमतीनगर,
लखनऊ।
फरवरी,1996

PRELUDE

Law concedes a lot of freedom to the judges. In criminal justice system, the courts have discretion in the making of several decisions. Quantification of sentence is one of those vulnerable areas. Generally, maximum punishment awardable for an offence is provided by law. If minimum is not provided, then courts get a latitutde to sentence a person from the minimum of one day imprisonment to the maximum laid. This discretion to quantify sentence is to be exercised judicially, otherwise it will not be discretion but shall debase itself into arbitrariness.

The very purpose of arming the courts with discretion is to see that the individualising relevant factors of each case are taken into account by the court in formulating its response- the legislators being unable to foresee all the possible considerations as may arise in a case. Rationalisation of the process is essential with a view to making it more and more uniform and principled so as to remove patently visible deviations. The judges should be aware of relevant criteria in order to render uniformity.

It has been found that the responses of judicial officers, while exercising discretion, vary widely. This germinated the quest to find the reasons for variations. I hope that the study would help the judicial officers in quantifying the sentence evenly in criminal cases and particularly in rape cases.

भूमिका

विधि द्वारा न्यायाधीश को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दाण्डिक न्याय-व्यवस्था में विभिन्न निर्णय लेने में न्यायालयों को विवेकाधिकार प्राप्त हैं, जिसमें दण्ड निर्धारण एक सर्वाधिक आलोचनात्मक क्षेत्र है। सामान्यतया, किसी भी अपराध के लिए विधि द्वारा अधिकतम दण्ड निर्धारित है। यदि दण्ड प्रावधानित नहीं है तो न्यायालय किसी व्यक्ति को कम से कम एक दिन से लेकर विधि द्वारा प्रावधानित अधिकतम दण्ड तक की सजा दे सकती है। दण्ड निर्धारण में विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक तौर से किया जाना चाहिए, अन्यथा यह विवेकाधिकार न होकर "मनमानापन" हो जाता है।

न्यायालयों को विवेकाधिकार प्रदान करने का मुख्य कारण यह है कि न्यायालय प्रत्येक मामले को तय करने में सुसंगत परिस्थितियों पर विचार कर सकें, क्योंकि विधायिका प्रत्येक मामले की समस्त परिस्थितियों का पूर्वानुमान नहीं कर सकती है। व्यवस्था में एक रूपता एवं सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट लक्षित असमानता को दूर करने हेतु यह आवश्यक था कि दाण्डिक प्रक्रिया उचित एवं न्यायिक सिद्धान्तों पर आधारित हो। दंड निर्धारण में एकरूपता लाने के लिए न्यायाधीश को सुसंगत मानकों से अवगत रहना चाहिए।

न्यायिक अधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने में व्यापक भिन्नता पाई गई। इन भिन्नताओं को खोज हेतु शोध की आवश्यकता प्रतीत हुई। मुझे आशा है कि इस शोध कार्य से, अपराधिक मामलों एवं विशेषतः बलात्कार के मामलों में, दण्ड निर्धारण में न्यायिक अधिकारियों को सहायता मिलेगी।

.....

I am, very much, grateful to Hon'ble Mr. Justice J.K. Mathur, Judge, Allahabad High Court, Lucknow Bench, who has guided me in completing this project, Sri A.B. Hajela, Director, I.J.T.R., Lucknow has always been a source of inspiration prompting each one of us to work with more and more of zeal.

I shall be failing in my duties, if I did not give my thanks to Sri B.S. Kotwal, Training Officer, Sri D.C. Kapri, Smt. Sushma Joseph, without whose co-operation this work could not have seen the light of the day.

Feb.,1994

A.K SRIVASTAVA
Dy. Director (Admn.)

*****

विषय-सूची

1. शोध प्रस्तावना 1
   (क) कारण
   (ख) उद्देश्य

2. शोध प्रणाली 5
   (अ) शोध हेतु चुने गए मामले
      (क) अपराध की प्रकृति
      (ख) निर्णय वर्ष
   (ब) आंकड़े
      (क) मानक आधार
      (ख) प्रयोगित आधार
      (ग) दण्ड के कानूनी उपबन्ध

3. विश्लेषण 15
   (क) क्षेत्र के अनुसार विभाजन
   (ख) पीड़ित महिला की वैवाहिक स्थिति
   (ग) अभियोक्त्री की आयु तथा दण्ड
   (घ) मामले जिनमें अभियोक्त्री संभोग की आदी पाई गई
   (ङ) विशेष परिस्थितियों में किये गए बलात्कार

4. प्रत्यक्ष मृत के मामले 41
   (अ) मामले जिनमें विधि द्वारा निर्धारित दण्ड के प्रतिकूल दण्ड दिया गया।
   (ब) मामले, जिनमें आधारों की भिन्नता होते हुए भी समान दण्ड दिया गया

5. निष्कर्ष 50

6. सुझाव 53

1. **PROLOGUE**

(a) **Reasons**

Excercise of judicial discretion is the most vulnerable area of judicial functioning, while most of the judicial responses require excercise of judicial discretion. This, on one hand, raises questions about the basic rule of law governing the judicial functioning and, on the other, poses a challenge to the judicial officers to hand down the discretionary orders evenly. The dichotomy is hightened by the ambivalent approach discernable in the precedents. Need to regulate use of discretion by following set principles as frequently asserted by quoting classical words of Cordozo, while certain equally assertive pleas are made for not surrendering the discretion given by law to the rules evolved by courts.

Yet unless certain principles are followed, the discretionary orders passed by various courts will show not only sujectivity in decision making, but also in-explicable variations in the decisions of the same Court and this variation is the clearest index of absence of rule of law as when the decisions are not based on any rule or principle but on the subjective responses of the judges of Courts which are meant to stand sentinels to the rule of law.

Certain discretionary orders have well defined principles governing their excercise espceially in

विशिष्ट अपराध, जिससे सामान्य रूप में जनमानस प्रभावित होता है, का विवेचन करना अधिक उपयुक्त समझा गया।

(2) यह निर्विवादित तथ्य है कि वर्तमान में स्त्रियों के विरुद्ध किये गये अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। उक्त अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन किया गया। बलात्कार स्त्री के विरुद्ध किया गया गंभीरतम् अपराध है। कदाचित, इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विधायिका ने भारतीय दण्ड संहिता में आवश्यक संशोधन किया, जिससे अपराध की परिभाषा को और अधिक व्यापक बना कर दण्ड भी बढ़ा दिया गया। विधायिका का आशय यह था कि इस प्रकार के मामले सख्ती से तय किये जाए तथा दण्ड भी अधिक मात्रा में दिया जाए। इसी कारण "बलात्कार के मामलों में दण्डादेश की प्रकृति" विषय पर शोध कार्य करने का निश्चय किया गया।

(3) शोध कार्य हेतु एक ही प्रकार के अपराधों में दिए गए दण्डादेशों का चयन जरूरी था; क्योंकि विभिन्न अपराधों के मामलों में, अपराध की प्रकृति के अनुसार, दण्डादेश की मात्रा अलग-अलग हो सकती थी तथा उन आधारों में भिन्नता हो सकती है। इस कारणएक ही प्रकार के अपराध के मामलों का चयन किया गया।

(4) जिन मामलों में दण्डादेश हेतु न्यायालय को अधिक विवेकाधिकार दिया गया है, उनमें दण्डादेश में भिन्नताएं भी अधिक होती हैं, किन्तु यदि विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु कम क्षेत्र उपलब्ध हो तो भिन्नताएं भी कम होती हैं। इस कारण भी बलात्कार के मामलों में दण्डादेश को शोध के विषय के रूप में चयन किया गया क्योंकि इसमें दंड की मात्रा निर्धारित करने में विवेकाधिकार का प्रयोग अधिक किया जाता है तथा भिन्नताओं की संभावनाएं अधिक हैं।

(स) निर्णय वर्ष :

(1) विभिन्न प्रदेशों में दण्डादेश देने की प्रकृति अलग-अलग हो सकती है, एक प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवस्था, दूसरे प्रदेश से भिन्न हो

every state. We have chosen the cases for research decided in one state in order to avoid the adverse effect of difference of sentencing pattern in different states as well as it was convenient to collect the data from Uttar Pradesh.

(ii) This research project was started in the year 1989. We have taken up the case decided by different courts of the state in the year 1988 as it was the just proceeding year.

(iii) All the districts of Uttar Pradesh were requested to send the copies of judgment of convictions decided in the year 1988. We received the information from following districts :

EAST	WEST	NORTH	SOUTH
BARABANKI	DEHRADUN	TEHRI GARHWAL	BANDA
GORAKHPUR	MUZAFFARNAGAR	PITHORAGARH	JHANSI
GONDA	SAHARANPUR	PILIBHIT	MIRZAPUR
BASTI	BULANDSHAHR	BAHRAICH	LALITPUR
JAUNPUR	MATHURA	SHAHJAHANPUR	FATEHPUR
	RAMPUR	HARDOI	PRATAPGARH
	ETAH		RAE BARELI
	MAINPURI		KANPUR
	ETAWAH		

अन्याय की इससे अधिक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। दीवानी मामलों में यह तुलना उतनी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है लेकिन दाण्डक मामलों में पूर्णतः स्पष्ट होती है, क्योंकि उनमें अंतिम परिणाम अंकों में लक्षित होता है, अर्थात् वह समयावधि, जितनी किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है अथवा वह मात्रा, जितनी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने हेतु आदेशित किया जाता है, स्पष्ट रूप से अंकित होती है।

अतः दण्ड की सीमा निर्धारित करने में न्यायालय को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि दण्डित व्यक्तियों के दंड में तर्कसंगत समानता हो। यह तभी संभव है यदि दण्ड का निर्धारण सुसंगत मापदण्ड के आधार पर किया जाए ताकि समान परिस्थितियों एवं अन्य समान तत्वों के होने पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए समान अपराध में अभियुक्त को समान दण्ड दिया जा सके, अन्यथा दाण्डक न्याय व्यवस्था के विरुद्ध अन्याय-पूर्ण होने का आरोप लग सकता है।

न्यायालयों को विवेकाधिकार देने का एक मुख्य कारण और है। जिन मामलों में विधायिका परिस्थितियों का सही पूर्वानुमान कर सकती उसमें वह यह तय कर देती है कि उन परिस्थितियों के होने पर उसका विधिक परिणाम क्या होगा। जैसे-यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे वस्तु उसकी मर्जी के बिना बेईमानी से ली तो वह चोरी के दंड का भागी होगा। उन तथ्यों के प्रमाणित होने पर न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह यह कह सके कि उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, परन्तु जबकि कोई विधिक परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर है तथा किसी मामले में वे कितनी तथा किस प्रकार की होंगी, उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता तो विधायिका उस परिणाम का निर्णय न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़ देती है जो कि प्रत्येक मामले में परिस्थितियों का आंकलन करके निर्णय ले सके, जैसे दंड की मात्रा तय करने के लिए, अपराध करने की परिस्थितियाँ, उसकी गंभीरता, दोषी व्यक्ति की परिस्थितियाँ तथा कभी उस व्यक्ति का व्यवहार, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया आदि। कई तथ्य व परिस्थितियाँ सुसंगत होती हैं जो हर मामले में भिन्न होती हैं तथा जिनका पूर्वानुमान नहीं

with the courts to decide the case in accordence with the facts of each case.

It is, therefore, essential to take into account the relevant considerations.

To induce uniformity in the quantification of sentencing, the judges should be aware of the relevant criterion. While conducting exercises on sentencing in the Institute, it was found that responses of trainees varied widely. Sometimes the variatiions being as much as 400 percent.

This germinated the quest to find the reasons for deviations. The exercise showed excessive subjectivity which converted the discretion into an arbitrary fixation of sentence mainly governed by unguided personal responses.

For exercise of the discretion to punish judicially and justly, it is essential that the sentencing process be subjected to reason.

Rationalisation of the process is also essential with a view to make it uniform and principled to remove patently visible deviations. It is, therefore, essential to identify the criterion relevant for determining sentence and to apply them.

This study aims at finding the relevant considerations and to see if they are being applied, with a view to rationalise sentencing.

2. RESEARCH METHOD

(a) CASES SELECTED FOR RESEARCH

(i) It was decided to select a specific offence for research on quantification of sentence

किया जा सकता। विशेष मामले में, विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर, दंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार इसी लिए न्यायालय को दिया गया है।

दण्डादेश के युक्तिसंगतीकरण में एकरूपता लाने हेतु यह आवश्यक है कि न्यायाधीश को सुसंगत मानदण्ड की जानकारी हो।

संस्थान में दण्डादेश के संबंध में अभ्यास कराते हुए यह पाया गया कि प्रशिक्षणार्थी अधिकारीगण के उत्तरों में व्यापक भिन्नता थी। कभी-कभी यह भिन्नता 400 प्रतिशत तक थी। उक्त भिन्नताओं के कारण ज्ञात करने हेतु अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस अभ्यास में दंड निर्धारण में अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठता दर्शित हुई, जिसने दण्ड देने के विवेकाधिकार को व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं पर आधारित मनमाने तरीके से दिए गए दण्ड में परिवर्तित कर दिया।

उचित एवं न्यायिक ढंग से दंडित करने के विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु यह आवश्यक था कि दण्डिक प्रक्रिया उचित कारणों पर आधारित हो। व्यवस्था में एकरूपता व सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट लक्षित असमानता दूर करने हेतु भी युक्तिसंगतीकरण आवश्यक था। अतः यह आवश्यक है कि दण्ड देने के सुसंगत सिद्धान्तों को जानते हुए उन्हें प्रयोग किया जाए।

इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य उन सुसंगत आधारों को जानना तथा ज्ञात करना है कि क्या वे सुसंगत आधार दण्डादेश के युक्तिसंगतीकरण हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि दंड देने की प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके।

2. शोध प्रणाली

(अ) शोध हेतु चुने गये मामले

(क) अपराध की प्रकृति

(1) दण्डादेश के युक्तिसंगतीकरण विषय पर शोध कार्य हेतु किसी ऐसे

by which public at large is directly affected.

It is an admitted fact that number of offences against woman are increasing. Special Court have been constituted to try such offences. Rape is the most heinous offence against woman. Necessary amendments have been made by the legislature to widen the scope of definition and punishment in the Indian Penal Code. It appears to be the object of the legislature that such offences be tried with strict hand and severe punishment should be awarded. Hence, it was decided to undertake the project 'quantification of sentence' in rape cases for research.

It was necessary to select similar type of cases for research as quantum of sentences and grounds may differ in different offences. Hence, similar type of cases are selected for the study.

There are more variations in sentencing in cases where more discretion has been given to Courts but if, less area of discretion is there, variation is also less. This was the other reason for selecting the subject of quantification of sentencing in rape cases because wide range of discretion is available to the court with a greater variation in sentencing pattern.

(b) **Year of decision**

(i) Judicial process, and pattern of sentencing may differ in

अस्पष्ट हैं। किए गए दण्डादेश-निर्णय भी लगभग पूर्णतः बंजर-क्षेत्र ही हैं, क्योंकि उनमें कुछ अस्पष्ट सिद्धान्त दण्डादेशों की पारिमाणिक व्याख्या से अधिक व्यक्तिपरक परिमाण ही बताते हैं। इसका प्रदर्शन तब हुआ जब संस्थान में न्यायाधीशों के एक समूह से, एक ही तरह के मामलों में, समान विषय-वस्तु में, दण्डादेश निर्धारित करने को कहा गया और उन्होंने विभिन्न दण्डादेश निर्धारित किए और कुछ मामलों में किसी एक द्वारा निर्धारित दण्डादेश की तुलना में अन्य द्वारा उसका चारगुना दण्डादेश निर्धारित किया गया।

इस विभेदकारिता को, व्यावहारिकतः, केवल तभी कम किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक न्यायाधीश के समक्ष अनुसरण हेतु निश्चित कार्य-सिद्धान्त हों।

ये बोध, आपराधिक मामलों में दण्डादेश निर्धारित करने के संबंध में, मार्गदर्शन हेतु स्वीकृत सिद्धान्तों के अभिज्ञान की खोज की ओर ले जाते हैं। दुर्भाग्यवश, न्यायिक-प्रक्रिया में कोई प्रयोग सिद्ध शोध संचालित नहीं किया गया है। इस शोध का प्रारम्भ बलात्कार के सामाजिक संवेदनशील क्षेत्र में उच्चतर न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों को उजागर करने तथा यह ज्ञात करने के लिए, कि क्या उनका प्रयोग न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, किया गया। आनुषंगिकतः तथा अतिमहत्वतः, अध्ययन न्यायिक अधिकारियों को इस सिद्धान्तों से सुसज्जित करेगा तथा ऐसा विश्वास है कि इससे दण्डादेश में व्यक्तिपरकता में कमी आएगी तथा प्रक्रिया का निवैयक्तिकरण होगा जो उसे "विधि के शासन" के निकट लाएगा।

(b) Object

The law concedes a lot of discretion to the judges. In the criminal justice process, the courts have discretion in making of several decisions. One of the most important of these is quantification of sentence. Generally, law merely provides the maximum sentence awardable for an offence. It may be imprisonment, simple or rigorous or fine. In a small number of cases, death is also provided as one of the alternative punishments.

Wherever, imprisonment is prescribed, the courts usually have the discretion to award any sentence upto the maximum sentence provided by law, unless minimum sentence is also prescribed, in which case the sentence has to be minimum or more than it.

This discretion to quantify sentence is to be exercised judicially, otherwise it will not be discretion but shall debase itself to being arbitrariness, an anathema in judicial process. In fact, the sole factor which distinguishes discretion from arbitrariness is that the former is excercised in accordance with accepted relevant norms, while the other is unbriddled choice of one of the permissible alternatives provided by law. It is, therefore, necessary that the judicia discretion involved in sentencing be exercised on the basi of explicit relevant principles.

There is yet another reason for the exercise of discretion to be guided by well recognised principles. Sentencing is an integral part of the criminal justice process and is a quantified end product. Though, it is not possible to define justice in absolute terms; nor is it possible to objectively assess the justness of a decision, yet there cannot be a more pronouncedly patent manifestation of injustice than two persons similarly circumstanced being

[स] [उद्देश्य]

दाण्डक विधि द्वारा न्यायाधीश को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। दाण्डक न्याय व्यवस्था में विभिन्न स्तर पर न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य दण्डादेश पारित करना है। सामान्यतः, विधि द्वारा किसी अपराध हेतु अधिकतम दण्ड निर्धारित किया जाता है। यह साधारणतया कारावास अथवा अर्थ दण्ड हो सकता है। कुछ मामलों में, मृत्युदंड दिए जाने का भी प्रावधान है।

यदि विधि द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है, उस स्थिति में न्यायालय को विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम दण्ड तक, किसी भी अवधि का कारावास देने का अधिकार प्राप्त है, जब तक कि न्यूनतम दण्ड भी निर्धारित न किया गया हो, जिस स्थिति में दण्ड न्यूनतम या उससे अधिक होगा।

दण्ड का निर्धारण करने में विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक तौर से किया जाना चाहिए, अन्यथा यह विवेकाधिकार न होकर मनमानापन हो जाएगा, जो न्यायिक प्रक्रिया हेतु कलंक है। वास्तव में, विवेकाधिकार एवं मनमानेपन में मात्र इतना अन्तर है कि "विवेकाधिकार" का प्रयोग स्वीकृत सुसंगत सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है, जबकि दूसरे में किसी निर्णय को लेने के लिए कोई सुसंगत आधार प्रयोग नहीं किया जाता। अतः यह आवश्यक है कि दण्ड देने हेतु न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग सुस्पष्ट सुसंगत सिद्धान्तों पर किया जाए।

सुस्पष्ट सुसंगत सिद्धान्तों के आधार पर विवेकाधिकार के प्रयोग करने का एक अन्य कारण भी है। दोषी व्यक्ति को दोषित करना दाण्डक न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग व साध्य अंतिम परिणाम है। यद्यपि न्याय को ठीक-ठीक परिभाषित करना संभव नहीं है, न ही किसी निर्णय के औचित्य को निष्पक्षतः आंकना संभव है, तथापि समान परिस्थितियों में दो व्यक्तियों को विधि द्वारा असमान रूप से व्यवहारित किया जाए तो

treated by law unequally. This comparison may not be so obvious in the civil matters but is absolutely visible in criminal matters where the result is expressed in figures indicating the period of time for which a man has to be incarcerated or showing the amount of money one has been asked to pay as fine, making the comparisons very easy and clear.

The courts have, therefore, to act, while fixing the sentence, in a manner that there is reasonable parity in the treatment of the persons, who are sentenced. This can be done, only, if the determination of sentence is based on some relevant criterion, so that persons accused of having committed similar offences, in similar circumstances, with other relevant factors being almost the same, receive similar amount of sentences, otherwise the criminal justice process will have fingers raised at it for being unjust.

The very purpose of empowering the court with discretion is to see that the individualising relevant factors of each case are taken into account by the court in formulating its response, as the legislators can not foresee all the possible considerations as may arise in a case, and the combinations in which they arise e.g. if, a person takes away moveable property out of the possession of any person with dishonest intention without that person's consent, he is guilty of committing theft. If this fact is proved, court cannot take a view that he is not guilty of theft. But when legal inference is dependant upon different factors which cannot be presupposed then legislature has left the discretion

मैं, माननीय श्री न्यायमूर्ति जगदीश कुमार माथुर, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ-पीठ, का अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने में मेरा मार्गदर्शन किया। श्री अवध बिहारी इजेला, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ हम सभी को अधिक उत्साह से कार्य करने हेतु हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं।

मैं श्री वी0एस0 कोतवाल, प्रशिक्षण अधिकारी एवं श्री दीपक चन्द कापरे और श्रीमती सुषमा जोसेफ के प्रति भी, उनके सहयोग के लिए, आभार प्रकट करता हूँ।

फरवरी,1994

अनिल कुमार श्रीवास्तव
उप निदेशक(प्रशासन)

xxxxx

I N D E X

1. Prologue 1
   (a) Reasons
   (b) Object
2. Research Method 5
   (a) Cases selected for research
      (i) nature of offence
      (ii) Year
   (b) Data
      (i) standard grounds
      (ii) ground used
      (iii) Provisions of law
3. Analysis 15
   (a) Division according to area
   (b) Marital status of Prosecutrix
   (c) Age of prosecutrix & sentence
   (d) Cases where prosecutrix was found habitual to sexual offences.
   (e) Rape in special circumstances
4. Cases of express mistake 41
   (a) Cases in which a sentence adverse to as prescribed by law is imposed.
   (b) Cases where similar sentence was given in different circumstances.
5. Conclusions 50
6. Suggestions 53

3. बलात्कारी का रिश्तेदार होना।
4. अभियोक्त्री की उम्र तथा उसकी पास-पड़ोस की परिस्थितियां।
5. पारिवारिक मित्र द्वारा बलात्कार किया जाना।
6. अभियोक्त्री/उसके माता-पिता द्वारा अभियुक्त पर किए गए विश्वास का दुरूपयोग करना।
7. विलासिता एवं भयंकरतापूर्ण लैंगिक कार्य।
8. बलात्कार के कारण अभियोक्त्री का भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक त्रासदी से पीड़ित होना।
9. अपहरण कर निरन्तर कई दिनों तक बलात्कार करना।
10. अभियोक्त्री को आर्थिक प्रतिकर, अभियुक्त पर अर्थदण्ड लगाकर, दिलाना।
11. प्रौढ़ावस्था वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार करना।
12. कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार।
13. लोक सेवक में न्यस्त विश्वसनीयता को भंग करते हुए बलात्कार करना।
14. चाकू/अस्त्र के नोक पर बलात्कार करना।
15. घटना के बाद अभियोक्त्री का अभियुक्त के मकान में रहना।
16. अभियुक्त की युवावस्था।
17. युवा पत्नी/अबोध शिशु का अभियुक्त पर आश्रित होना।
18. सह अभियुक्त को सन्देह का लाभ देते हुए छोड़ना।
19. आजीवन कारावास भुगत रहे अपराधियों की संगत में पड़ने से बचाना।
20. बलात्कार करने का आदी न होना।
21 मामले की विशिष्ट परिस्थितियां।
22. समयावधि [घटना की तिथि से मुकदमे के अंतिम निस्तारण के मध्य की समयावधि]।
23. अभियुक्त की नौकरी छिन जाना।
24. अभियुक्त का समाज में बहुत अपमानित होना।
25. अभियुक्त का 16 वर्ष से कम आयु का बालक होना।

26. Accused is a misguided person.
27. Conduct and behaviour of prosecutrix in the commission of the offence.

(b) Ground used

73 judgments of conviction were received from different districts. Grounds, which were expressly considered by the Courts for sentencing, were sorted out from the judgments under study. They are as follows :

1, Gang rape
2. Lenient sentence is not proper, deterrent punishment should be given.
3. Committing rape at so many places after kidnapping.
4. Rape by several persons in presence of prosecutrix husband and brother-in-law.
5. Offence of selling the prosecutrix.
6. Brutal rape by misusing the police powers.
7. Snatching the hard earned money of prosecutrix after committing rape on her.
8. Rape on Harijan lady.
9. Rape on handicapped, physically handicapped, minor girl.
10. Accused belongs to one family.
11. Rape on a married woman.
12. Circumstances of the case.
13. Tender age of accused.
14. Social offence/keeping in view the Heinousness of offence.
15. Accused is having no previous criminal antecedents.
16. Family of accused is based upon him for livelihood.

सकती है। इस भिन्नता के आधार पर शोध कार्य में विपरीत प्रभाव न पड़े एवं दण्डादेश पारित करने के विभिन्न सिद्धान्तों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके, इस कारण एक ही प्रदेश में निस्तारित मामलों को शोध कार्य हेतु चुना गया। इसके अतिरिक्त, एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश के समस्त आकड़े मंगवाना भी सुविधाजनक था।

(2) वर्तमान शोध कार्य वर्ष 1989 में प्रारम्भ किया गया था तथा हाल ही में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत किए गए मामलों के संदर्भ में शोध कार्य किया जाना उचित समझा गया। इस कारण वर्ष 1988 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामलों को शोध कार्य हेतु चयनित किया गया।

(3) प्रदेश के समस्त जनपदों से वर्ष 1988 में निर्णीत दोषसिद्ध के मामलों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया तथा निम्न-लिखित जनपदों से उक्त प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुईः-

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
बाराबंकी	देहरादून	टिहरी गढ़वाल	बाँदा
गोरखपुर	मुजफ्फरनगर	पिथौरागढ़	झाँसी
गोण्डा	सहारनपुर	पीलीभीत	मिर्जापुर
बस्ती	बुलन्दशहर	बहराइच	ललितपुर
जौनपुर	मथुरा	शाहजहाँपुर	फतेहपुर
	रामपुर	हरदोई	प्रतापगढ़
	ऐटा		रायबरेली
	मैनपुरी		कानपुर
	इटावा		

(iv) Geographically it is clear that we have received the information from all the directions, i.e. east, west, north & south, of the State and thus whole State has been represented.

(v) Cases convicted by different sessions courts in the year 1988 are taken up for study with the presumption that all the judgments of Supreme Court and different High Courts upto 1987 must have come to the knowledge of the courts and records of 1988 were lying in the different courts.

(B) DATA

(a) Standard grounds

(i) In order to ascertain whether in the cases under study, relevant grounds for sentencing have been considered by the courts or not, it was necessary to know the grounds for sentencing.

(ii) Judgments of Supreme Court and different High Courts are reported in law journals. It is mandatory for the subordinate courts to follow such law. Hence, all the grounds considered by the Supreme Court and different High Courts are collected. Following grounds have been considered to be relevant while sentencing a person by the Supreme Court and High Court and are termed as the standard grounds.

1. Cruel offence against human dignity.

2. Age of prosecutrix is below 16 years.

(4) उपरोक्त जनपदों की भौगोलिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि भौगोलिक रूप से प्रदेश के चारों ओर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से निर्णयों की प्रतिलिपियां प्राप्त हो गई हैं तथा सम्पूर्ण प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो गया है।

(5) वर्ष 1988 में निर्णीत मामलों का अध्ययन किया गया है। यह उपधारणा करते हुए शोध कार्य किया गया कि वर्ष 1987 तक उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दण्डादेश के संबंध में पारित निर्णयों की जानकारी विभिन्न न्यायालयों को होगी तथा 1988 में निर्णीत मामलों के अभियोक्ता न्यायालयों में उपलब्ध होंगे।

(ब) आंकड़े

(क) मानक आधार :

(1) वर्तमान शोध कार्य में अध्ययन किये गए मामलों में सुसंगत आधारों के होते हुए भी उन पर विचार किया गया है अथवा नहीं, यह जानने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उन आधारों को जाना जाए, जो दण्डादेश के लिए सुसंगत हैं।

(2) केवल उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ही विभिन्न विधि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं तथा जिन न्यायालयों के निर्णयों का इस शोध कार्य में अध्ययन किया गया है, उनके लिए भी उक्त निर्णयों को मानना अनिवार्य है। इसलिए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में विचारित आधारों को एकत्रित किया गया। वर्ष 1950 से सर्वोच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की पूर्णपीठ के समस्त निर्णयों में निम्नलिखित आधारों को दण्ड निर्धारण के लिए विचारित किया गया है। वह समस्त निर्णय, जिनमें दण्डादेश के लिए किसी भी आधार को विचारित किया गया है, वह आधार मानक आधारों में सम्मिलित हैं। मामलों की संख्या तथा व्यापकता के कारण इन्हीं आधारों को मानक आधार माना गया :-

1. मानव प्रतिष्ठा के प्रतिकूल भयंकरतम अपराध का होना।
2. अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होना।

3. Accused is relative of prosecutrix.
4. Age of prosecutrix & surrounding circumstances.
5. Rape by family friend.
6. Misuse of trust by accused reposed by the prosecutrix or her parents.
7. Sexual offence.
8. Committing rape for several days after kidnapping.
9. Sensitive & psychological torture of prosecutrix.
10. Awarding compensation to prosecutrix by imposing fine upon accused.
11. Rape by an aged person.
12. Rape by several persons.
13. Rape by a public servant breaching the faith reposed on him.
14. Rape at knife/pistol point.
15. If prosecutrix is living with the accused after occurence, it would be a relevant fact for quantification of sentence.
16. Young age of accused.
17. Young wife and innocent child are dependant on accused.
18. Co-accused is acquitted getting benefit of doubt.
19. To save the accused from the company of life convicts.
20. Accused not being habitual of committing rape.
21. Special circumstances of the case.
22. Time gap (between the date of occurrence and date of decision).
23. Accused is dismissed from the job.
24. Accused reputation is tarnished in the society and joint affect of item No.8 & 9.
25. Accused is a boy of below 16 years.

शोध प्रस्तावना

(क) कारण

न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक प्रक्रिया का एक अतिसुभेद्य क्षेत्र है, क्योंकि बहुत से न्यायिक प्रतिउत्तरों हेतु न्यायिक-विवेकाधिकार के प्रयोग की अपेक्षा होती है। यह जहाँ एक ओर,न्यायिक कार्यवाही को अधिशासित करने वाले विधि के मूलभूत नियमों के संबंध में प्रश्न पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर, न्यायिक अधिकारियों के लिए विवेकाश्रित आदेशों के संबंध में चुनौती प्रस्तुत करता है। विभाजन में अभिवृद्धि निर्णयज विधियों में उभयभावी दृष्टिकोण के कारण है। विवेकाधिकार के प्रयोग को नियमित करने की आवश्यकता हेतु प्रतिस्थापित अनुसरणात्मक सिद्धान्तों को बार-बार काडोंजो द्वारा अधिकथित प्रतिष्ठित शब्दों को उद्धत कर किया जाता रहा है, जबकि कतिपय सम-अभिकथनात्मक अभिवाक् भी किये गये कि विधि द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार, जो न्यायालयों द्वारा प्रतिस्थापित हैं, का समर्पण नहीं किया जाना चाहिए।

जब तक कि कतिपय सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया जायगा, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित विवेकाधिकाराश्रित आदेश न केवल निर्णयों में व्यक्तिपरकता को दृष्टिगोचर करेंगे, अपितु उसी न्यायालय के निर्णयों में अव्याख्यात्मक विभेदता भी होगी, और यह विभेदता विधि के शासन की अवमानता का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि तब निर्णय किसी नियम या सिद्धान्त पर आधारित न होकर न्यायालय के न्यायाधीशों, जो विधि के शासन के प्रयोजनार्थ तैनात प्रहरी समझे जाते हैं, के प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है।

कतिपय विवेकाश्रित आदेशों, विशेषतः सिविल मामलों, हेतु सुपरिभाषित सिद्धान्त हैं। आपराधिक मामलों में विवेकाधिकार के क्षेत्र

the civil matters. In criminal matters the discretionary areas are ill lit. The sentencing decisions are made in almost total widerness , there being a few vague principles meant more for explaining the subjectively quantified sentences, than for quantifying them.This was acutly demonstrated when a group of judges in the Institute were asked to fix sentences in the same set of cases, each having been given the same material and they fixed variant sentences, one fixing, in some cases, 4 times the sentence fixed by another.

This variation can be substaintially reduced only when each of the judges has some concrete working principles to follow.

These perception lead to the quest for the identification of the principle which have been accepted to be guiding the discretion in fixing of sentences in criminal cases. Unfortunately, no empirical research has been conducted in the judicial process. This research was, therefore, initiated to uncover the principles which had been used in the higher courts in a socially sensetive area of rape and also to find, whether these principles were being used by the judicial officers. Incidentally and more importantly, the study would aquaint the judicial officers with these principles, hopefully to reduce subjectivity in sentencing anddepersonalise the process to bring it closer to rule of law.

26. अभियुक्त का विभ्रमित व्यक्ति होना।

27. अपराध कारित होने में अभियोक्त्री का आचरण एवं व्यवहार।

[ब] प्रयोगित आधार

[1] वर्तमान शोध कार्य में विभिन्न जनपदों से कुल 73 निर्णय प्राप्त हुए। जिनसे उन आधारों का चयन किया गया जिन पर अभिव्यक्त रूप से विचार करते हुए न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित किया गया। इस प्रकार के कुल 26 आधार दर्शाए गए हैं, जो निम्नांकित हैं :-

1. कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार।
2. बलात्कार के मामले में उदार दण्ड देना उचित नहीं/कठोर दण्ड देना उचित।
3. अपहरण करके कई माह तक विभिन्न स्थानों पर ले जाकर निरन्तर बलात्कार करना।
4. अभियोक्त्री के पिता, देवर की उपस्थिति में बन्दूक की नोक पर पाशविक रूप से कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार।
5. अभियोक्त्री को बेचने का अपराध।
6. पुलिस की शक्तियों का दुरूपयोग कर अभियोक्त्री के साथ पाशविक बलात्कार।
7. बलात्कार के पश्चात, अभियोक्त्री द्वारा कठिन परिश्रम से अर्जित धन छीनना।
8. हरिजन युवती के साथ बलात्कार।
9. अपंग, पागल, अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार।
10. अभियुक्तों का एक ही परिवार का होना।
11. विवाहित महिला के साथ बलात्कार।
12. वाद की परिस्थितियां।
13. अभियुक्त की किशोर आयु।
14. सामाजिक अपराध/अपराध की गंभीरता।
15. अभियुक्त का अपराधिक प्रवृत्ति का न होना।
16. अभियुक्त के परिवार का आजीविका हेतु उस पर आश्रित होना।

17. Accused is illiterate villager.
18. Age of the accused and confessional statement made by him.
19. Old parents are dependant upon him.
20. Misguided person.
21. To save the accused from the company of hardened criminals.
22. Accused has already been detained in jail for the offence during trial.
23. Pitiable condition of accused.
24. Prosecutrix aided the accused in commission of the offence directly and indirectly.
25. Commission of offence after conspiracy.
26. Big family and least salary of accused.
27. Confession of accused.

(c) Provisions of Law

Rape has been made punishable under Sec. 376 I.P.C. which reads as under -

PUNISHMENT FOR RAPE.- (1) Whoever, except in the cases provided for by sub-section (2), commits rape shall be punished with imprisonment of either descriptionfor a term which shall not be less than seven years but which may be for life or for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine unless the woman raped is his own wife and is not under twelve years of age, in which case, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both :

Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judg ment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years.

17. अशिक्षित गाँववासी होना।

18. अभियुक्त की आयु।

19. अभियुक्त के वृद्ध माता-पिता का उस पर आश्रित होना।

20. दिशा भ्रमित होना।

21. कठोर सजायाफ्ता अपराधियों की संगत में पड़ने से बचाना।

22. अभियुक्त घटना के संबंध में पूर्व में जेल में रह चुका है।

23. अभियुक्त की दयनीय स्थिति।

24. अभियोत्री का घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होना संभव।

25. षड्यंत्र करके अपराध का किया जाना।

26. अभियुक्त का बड़ा परिवार एवं छोटी नौकरी।

27. अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति।

(ग) दण्ड के कानूनी उपबंध

बलात्कार के अपराध को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना गया है। जिसके कानूनी प्रावधान निम्नप्रकार हैं :-

बलात्संग के लिए दण्ड

(1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। किन्तु यदि वह स्त्री, जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2) Whoever .-

(a) being a police officer commits rape -

(i) within the limits of the police station to which he is appointed; or

(ii) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed; or

(iii) on a woman in his custody or in the custody of a police officer subordinate to him;or

(b) being a public servant, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him;or

(c) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution takes advantage of his official position and commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or

(d) being on the management or on the staff of a hospital, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in that hospital;or

(e) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or

(f) commits rape on a woman when she is under twelve years of age; or

(2) जो कोई-

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा, या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा,या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द के होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ङ) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा, या

(च) किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की

(g) commits gang rape -

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may be for life and shall also be liable to fine.

Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment of either description for a term of less than ten years.

Explanation 1.- Where a woman is raped by one or more in a group of persons acting in furtherance of their common intention, each of the persons shall be deemed to have committed gang rape within the meaning of this sub-section.

Explanation 2.- "Women's or children's institution" means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widows' home or by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.

Explanation 3.- "Hospital" means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation.

376A-Intercourse by a man with his wife during separation.-

Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately from him under a decree of separation or under any custom or usage without her

है, बलात्संग करेगा, या

(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण 1- जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।

स्पष्टीकरण2- "स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था" से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 3- "अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो उत्ताथ(आरोग्य स्थापन) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।

धारा 376क- पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग- जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन

consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.

376-B. Intercourse by public servant with woman in his custody.- Whoever, being a public servant, takes advantage of his official position and induces or seduces, any woman, who is in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him, to have sexual intercourse with him such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

376-C. Intercourse by superintendent of jail, remand home, etc.- Whoever being the superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or chidlren's institution takes advantage of his official position and induces or seduces any female inmate of such jail, remand home, place or institution to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Explanation 1.- "Superintendent" in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which he can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 2.- The expression "women's or children's institution" shall have the same meaning as in Explanation 2 to

उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376ब- लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग- जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विक्षुब्ध करेगा, जो मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के करावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376ग- जेल, प्रतिप्रेषण-गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग- जो कोई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक, प्रबन्धक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री निवासी को, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विक्षुब्ध करेगा, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के करावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1- किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 2- स्त्रियों या बालकों की किसी "संस्था" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा(2) के स्पष्टीकरण

sub-section (2) of Section 376.

376-D. Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital.- Whoever, being on the management of a hospital or being on the staff of a hospital takes advantage of his position and has sexual intercourse with any woman in that hospital, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Explanation.- The expression "hospital" shall have the same meaning as in Explanation 3 to sub-section (2) of Section 376).

3. ANALYSIS

(A) DIVISION ACCORDING TO AREA

Background of Prosecutrix	No. of cases	Percentage
URBAN	16	21.92
RURAL	50	68.49
OTHERWISE	7	9.59
TOTAL	73	100.00

A study was made with a view to know the urban or rural background of the prosecutrix. For the purposes of this study, women living at the District or Tehsil headquarter are treated as belonging to urban background while rest are belonging to rural background.

In 16 i.e. 21.92% cases, the prosecutrix belongs to urban while in 50 i.e. 68.49% cases, the prosecutrix belongs to rural background. In 7 i.e. 9.59% cases, it is not clear from judgment as to whether the prosecutrix belongs to urban or rural background. These datas

2 में है।

धारा 376घ- अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग- जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी स्त्री के साथ ऐसा मैथुन करेगा, जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3. **विश्लेषण**

(क) क्षेत्र के अनुसार विभाजन

पीड़ित महिला/अभियोक्त्री	मामले	प्रतिशत
शहरी	16	21.92
देहाती	50	68.49
अस्पष्ट	7	9.59
योग-	73	100.00

(1) उपलब्ध निर्णयों का अध्ययन इस दृष्टि से किया गया कि कितने मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री शहरी परिवेश की थीं तथा कितने मामलों में देहाती परिवेश की थीं। शोध कार्य में जिला मुख्यालय, तहसील में रहने वाली महिलाओं को शहरी परिवेश तथा शेष को देहाती परिवेश का होना माना गया है।

(11) 16 अर्थात् 21.92 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री शहरी परिवेश एवं 50 अर्थात् 68.49 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री देहाती परिवेश की थीं। 07 मामलों में, अर्थात् 9.59 प्रतिशत मामलों में निर्णय से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पीड़ित महिला किस परिवेश की थी। उपरोक्त आंकड़ों

shows that in most of cases, prosecutrix belongs to the rural background.

(B) MARITAL STATUS OF PROSECUTRIX

Prosecutrix	No.of Cases	Percentage
Married	28	38.50
Unmarried	44	60.27
Marital status not clear from judgment	01	01.23
TOTAL	73	100.00

(i) Out of 73, in 28 i.e. 38.5% cases, Prosecutrix was married while in 44 i.e. 60.27% cases, she was unmarried. In one case marital status of presecutrix was not clear. It shows that in comparision to married women, more number of unmarried women are victim of rape.

(ii) An effort is made to know the pattern of sentencing in respect of married or unmarried women.

(iii) In case of married woman, an average sentence of 6.51 years was imposed while in case of unmarried women, average sentence of 6.33 years was imposed on the accused. It clearly shows that quantum of sentence was less in case of unmarried woman.

(iv) Age and marital status of prosecutrix hasan important role in quantification of sentence in rape case. Although it is true that irrespective of the age of prosecutrix, rape is a punishable offence but gravity of the offence differs from case to case according to circumstances of the case. A rape committed on an unmarried girl, is more heinous

से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री देहाती परिवेश की थी।

(ब) पीड़ित महिला की वैवाहिक स्थिति

पीड़ित महिला/अभियोक्त्री	मामले	प्रतिशत
विवाहित	28	38·50
अविवाहित	44	60·27
अस्पष्ट	01	01·23
योग-	73	100·00

(i) कुल 73 में से 28 अर्थात् 38·5 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें पीड़ित महिला विवाहित थी एवं 44 अर्थात् 60·27 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला अविवाहित पायी गयी। एक मामले में निर्णय से पीड़ित महिला की वैवाहिक स्थिति निश्चित नहीं हो सकी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले अधिक हुए हैं।

वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में दण्ड की मात्रा :

(ii) उपलब्ध मामलों में से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में दण्डादेश की क्या प्रवृत्ति रही है।

(iii) विवाहित महिलाओं के मामलों में औसत दण्ड 6·51 वर्ष का दिया गया है जबकि अविवाहित स्त्रियों के मामलों में औसत दण्ड 6·33 वर्ष का दिया गया है, अर्थात् अविवाहित स्त्रियों के मामलों में दण्ड की मात्रा अल्पाधिक रूप से कम थी।

(iv) दण्ड निर्धारण में अभियोक्त्री की आयु अथवा उसके विवाहित या अविवाहित होने के तथ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि यह सत्य है कि बलात्कार किसी भी उम्र की स्त्री के साथ किया जाए, यह दण्डनीय अपराध है परन्तु प्रत्येक मामले में उसकी गम्भीरता उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि अविवाहित कन्या के साथ बलात्कार का अपराध किया जाता है तो यह विवाहित स्त्री की तुलना में कि

in comparison to a rape committed on a married woman because in our society, an unmarried girl victim of rape has lesser chances of marriage, society treats her with neglected eyes and she suffers the frustration physically and mentally. Hence, quantum of sentence should be higher in cases of unmarried girls in comparision to married women.

(C) AGE OF PROSECUTRIX AND SENTENCE

(i) The following table shows the number of cases with reference to age of prosecutrix and the average sentenced passed.

Age of Victim	No. of Cases	Percentage	Average sentence
0-7	05	06.84	8 years
07-12	12	16.43	6 years
12-16	13	17.80	6 years
16-18	12	16.43	8 years
18-21	18	24.65	7 years
21-35	03	04.10	5 years
Age was not clear from judgment but woman was married	10	13.75	6 years
TOTAL	73	100.00	

गए अपराध से अधिक गम्भीर है क्योंकि अविवाहित स्त्री के साथ बलात्कार के उपरान्त उसके विवाहित जीवन की सम्भावनाएं क्षीण हो जाती हैं तथा समाज में उसे हेय दृष्टि से देखा जाने लगता है। पीड़ित महिला शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्तर पर त्रासदी झेलती है, अतः विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं से किए गए अपराध में दण्ड की मात्रा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होनी चाहिए।

(ग) अभियोक्त्री की आयु तथा दण्ड

(i) पीड़ित महिला की आयु के संदर्भ में मामलों की संख्या तथा औसत दण्ड निम्न तालिका में दिया गया है :-

पीड़ित महिला की आयु	मामलों की संख्या	प्रतिशत	औसत दण्ड
0-7	05	06·84	8 वर्ष
7-12	12	16·43	6 वर्ष
12-16	13	17·80	6 वर्ष
16-18	12	18·43	8 वर्ष
18-21	18	24·65	7 वर्ष
21-35	03	04·10	5 वर्ष
मामले, जिनमें आयु स्पष्ट न थी परन्तु, महिला विवाहित थी	10	13·75	6 वर्ष
योग-	73	100·00	

iii) It is clear from the study that the age of victim was 7 years in 5 cases, 7 to 12 years in 12 cases, 12 to 16 years in 13 cases, 16 to 18 years in 12 cases, 18 to 21 years in 18 cases and 21 to 35 years in 3 cases. Age of victim was not clearly mentioned in 10 cases but they were married women.

(iii) Age of prosecutrix was 7 years in 6.84 percent cases while 7 to 12 years in 16.43, 12 to 16 years in 17.60, 12 to 16 years in 17.80, 16 to 18 years in 16.43, 18 to 21 years in 24.55 and 21 to 35 years in 4.10 percent of cases. This study shows that is one fourth cases the age of prosecutrix was between 18 to 21 years.

(iv) An analysis of sentence vis-a-vis age of the prosecutrix shows that the average sentence was 8 years in cases of age upto 7 years, 6 years in cases of 7 to 12 years, 6 years in 12 to 16 years, 8 years in 16 to 18 years, 7 years in 18 to 21 years, and 5 years in cases of age between 21 to 35 years. Different courts have imposed the maximum punishment in cases where the age of prosecutrix was upto 7 years or between 16 to 18 years, which fact is also clear from the attached graph. Minimum sentence of 5 years was imposed in cases where the age of prosecutrix was between 21 to 35 years. Sentence of 6 years was imposed in cases where the age of prosecutrix was between 7 to 12 and 12 to 16 years while 7 years of sentence was passed in cases where the age of prosecutrix was 18 to 21 years. The average sentence comes to 6.52 years.

(v) Above analysis clearly shows that the age of

(III) बलात्कार से पीड़ित महिला की आयु के संबंध में अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ है कि 5 मामलों में 7 वर्ष, 12 मामलों में 7 से 12 वर्ष, 13 मामलों में 12 से 16 वर्ष, 12 मामलों में 16 से 18 वर्ष, 18 मामलों में 18 से 21 वर्ष तथा 3 मामलों में 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए हैं। 10 मामलों में पीड़ित महिला (अभियोक्त्री) की आयु, निर्णय में अंकित नहीं थी, परन्तु वे विवाहित महिलाएं थीं।

(IV) 7 वर्ष तक की आयु के 6·84, 7 से 12 वर्ष तक की आयु के 16·43, 12 से 16 वर्ष तक की आयु के 17·60, 12 से 16 वर्ष तक की आयु के 17·80, 16 से 18 वर्ष तक की आयु के 16·43, 18 से 21 वर्ष तक की आयु के 24·55 तथा 21 से 35 वर्ष तक की आयु के बीच के 4·10 प्रतिशत मामले थे। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लगभग एक चौथाई मामलों, जिनमें दोषसिद्ध में दण्डादेश किया गया है, में अभियोक्त्री की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच थी।

(V) अभियोक्त्री की आयु के अनुसार दण्डादेश के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सात वर्ष तक की आयु के मामलों में औसत दण्ड 8 वर्ष, 7 से 12 वर्ष तक आयु के मामलों में 6 वर्ष, 12 से 16 वर्ष तक की आयु के मामलों में 6 वर्ष, 16 से 18 वर्ष तक की आयु के मामलों में 8 वर्ष, 18 से 21 वर्ष तक की आयु में 7 वर्ष तथा 21 से 35 वर्ष तक की आयु के मामलों में 5 वर्ष तक का था। विभिन्न न्यायालयों द्वारा औसत रूप में अधिकतम दण्ड उन मामलों में दिया गया है जिनमें अभियोक्त्री की आयु 7 वर्ष तक अथवा 16 से 18 वर्ष के मध्य थी। संलग्न ग्राफ से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है। न्यूनतम दण्ड 5 वर्ष, 21 से 35 वर्ष तक की अभियोक्त्री के मामले में अधिरोपित किया गया है। 7 से 12 एवं 12 से 16 वर्ष तक की आयु की अभियोक्त्री के मामलों में दण्ड 6 वर्ष के लिए दिया गया है, जबकि 18 से 21 वर्ष तक की आयु के अभियोक्त्री के मामलों में औसत दण्ड 7 वर्ष का अधिरोपित किया गया है। उक्त समस्त मामलों में कुल औसत दण्ड लगभग 6·52 वर्ष आता है।

(VI) उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न

victim was not properly considered by the courts while awarding the sentence. Gravity of this social offence increases in cases where victim is a young girl. Less is the age of victim, more is the adverse effect on his mental condition and social status. Hence, sentence should be proportionate to the age of the victim. In cases of young girls, severe sentence should be awarded.

(vi) An effort is made, with the help of attached graph and table, to identify the age of victim in different cases, because age of victim is very important factor for prosecution as well as defence. It is clear from the graph that in minimum 4.10 percent cases, age of victim was between 21 to 35 years while the age of victim was between 18 to 21 years in 24.65 percent cases. Age of victim was below 7 years in 5 cases while same type of cases are found in 7 to 18 years old victims. It shows that the number of cases were more in cases of women between the age of 12 to 21 years.

Age of prosecutrix	Average sentence
0-7	8 years
7-12	6 "
12-16	6 "
16-18	8 "
18-21	7 "
21-35	5 "

Average Sentence-6.52 years

न्यायालयों द्वारा विभिन्न मामलों में दण्ड दिये जाने में अभियोक्त्री की आयु पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है। जिन मामलों में अभियोक्त्री/पीड़ित महिला की आयु कम है उनमें इस सामाजिक अपराध की गम्भीरता अधिक हो जाती है। जितनी कम आयु की बालिका के साथ यह अपराध किया जाता है उतना ही अधिक प्रभाव उसके मन मस्तिष्क व सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ता है दण्ड तथा आयु में विलोमानुपात होना चाहिए। इसलिए कम आयु की बालिका के मामलों में दण्ड अधिक होना चाहिए।

(VI) संलग्न ग्राफ व टेबिल में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि कितने मामलों में पीड़ित बालिका/महिला की आयु क्या थी? क्योंकि आयु का तथ्य अभियोजन एवं बचाव दोनों ही के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संलग्न ग्राफ से स्पष्ट होता है कि न्यूनतम 4.10 प्रतिशत मामलों में बलात्कार से पीड़ित महिला की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच थी। सर्वाधिक 24.65 प्रतिशत मामलों में महिला की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच थी। 5 मामलों में 7 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार किया गया जबकि 7 से 18 वर्ष के बीच में सामान्यतः एक ही प्रकार के मुकदमे थे। इससे स्पष्ट होता है कि 12 से 21 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की संख्या अधिक है।

अभियोक्त्री की आयु	औसत दण्ड
0-7	8 वर्ष
7-12	6 वर्ष
12-16	6 वर्ष
16-18	8 वर्ष
18-21	7 वर्ष
21-35	5 वर्ष

औसत दण्ड-6.52 वर्ष

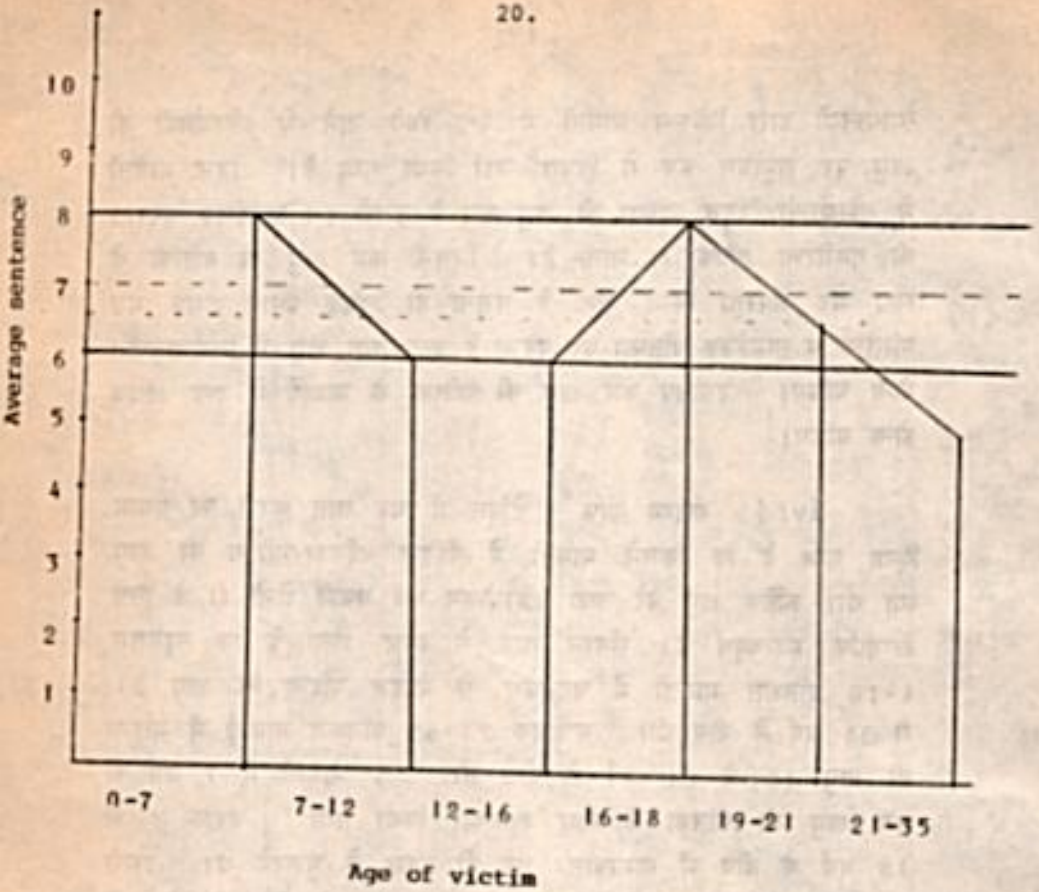

Some Specific Cases

(i) Rape with minor upto 7 years

Serial No.4 - A girl of 5 years was raped by a young boy of 15 years and he was released on probation.

Serial No.23 - Accused aged 14 years raped a girl of 6 years and in view of Sec.33(J) of U.P.Childrens Act, 1951, sentenced to 4 years of imprisonment.

Serial No.62 - A girl aged about 5-6 years was raped by accused in her house. He was sentenced to a rigorous imprisonment for 10 years.

It is clear from the above study that quantum of sentence is different even in the cases where victim is a girl of very tender age.

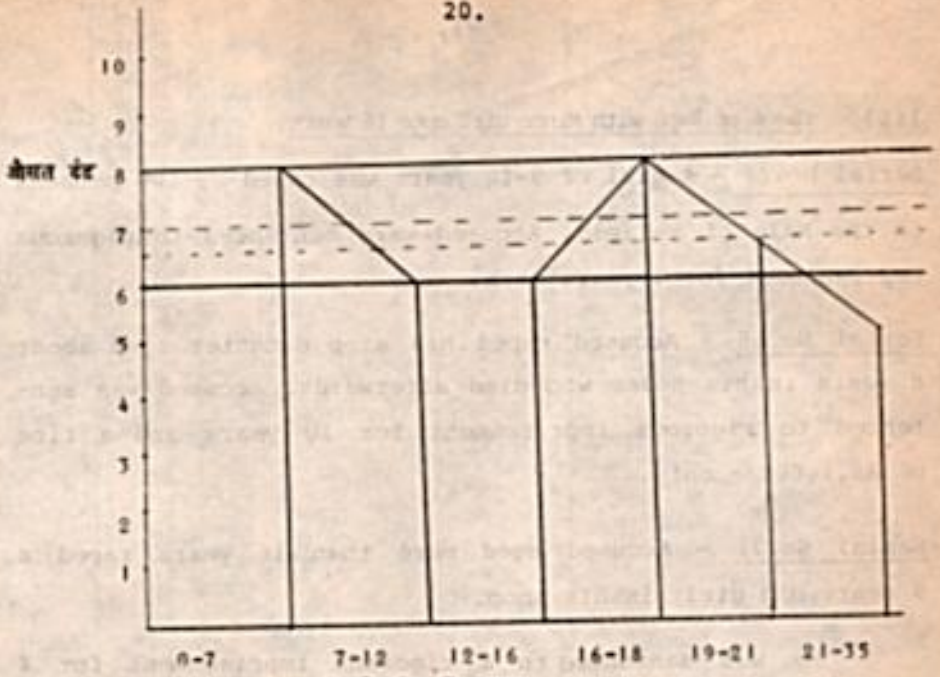

अभियोक्त्री की आयु

कुछ विशेष मामले :

(क) सात वर्ष तक की आयु की बालिका के मामले

क्रमांक-4- 15 वर्ष के युवक द्वारा एक 5 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया गया व उसे परीक्षा पर रिहा किया गया।

क्रमांक 23- 6 वर्ष की बालिका के साथ 14 वर्षीय अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया एवं उसे धारा 33(जे), उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम,1951 को दृष्टिगत रखते हुए 4 वर्ष की सजा दी गई।

क्रमांक 62- 5 1/2-6 वर्ष की बालिका के साथ अभियुक्त द्वारा दिन में 12·00 बजे उसी के घर में बलात्कार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई।

उपरोक्त मामलों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि अत्यधिक कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामलों में भी सजा की मात्रा में भिन्नता है।

(ii) Cases of Rape with Minor girl upto 16 years

Serial No.40 - A girl of 9-10 years was raped by two persons in the Nala of a field. Accused were sentenced to rigorous imprisonment for 7 years each.

Serial No.68 - Accused raped his step daughter aged about 8 years in his house who died afterwards. Accused was sentenced to rigorous imprisonment for 10 years and a fine of Rs.1,000/- only.

Serial No.21 - Accused aged more than 16 years raped a 9 years old girl in his shop.

He was sentenced to a rigorous imprisonment for 4 years and fine of Rs.1,000/- only.

Serial No.8 - Accused raped a girl of 9 years in her house, and was sentenced to rigorous imprisonment for 2 years only on the ground of his being a young boy of 15-16 years.

Serial No.28 - Accused raped a girl aged about 16 years in a Kothari and was sentenced to 5 years rigorous imprisonment only.

Serial No.59 - A young girl of 13 years was kidnapped and raped by the accused. Court sentenced him to a rigorous imprisonment for 10 years and a fine of Rs.500/- only.

Serial No.31 - Accused raped a young girl aged 13 years who was the friend of his daughter. He was sentenced to a rigorous imprisonment for 5 years.

(ब) 16 वर्ष तक की नाबालिग कन्या से बलात्कार के मामले:-

क्रमांक-40 9-10 वर्ष की बालिका के साथ शाम 6.00 बजे दो युवकों द्वारा खेत के नाले में बलात्कार किया गया। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-68- अभियुक्त द्वारा 8 वर्ष की बालिका (अपनी सौतेली पुत्री) से अपने घर में बलात्कार किया गया। जिसके कारण बाद में अभियोक्त्री की मृत्यु भी हो गई। अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व मात्र 1000/= रुपये अर्थ दण्ड की सजा दी गई।

क्रमांक-21- अभियुक्त ने 9 वर्ष की बालिका के साथ अपनी दुकान के अन्दर बलात्कार किया। अभियुक्त की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रुपये अर्थ दण्ड की सजा दी गई।

क्रमांक-8- अभियुक्त द्वारा 9 वर्ष की बालिका के साथ उसके ही घर में बलात्कार किया गया। अभियुक्त की आयु 15-16 वर्ष मानते हुए न्यायालय द्वारा उसे मात्र 2 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-28- अभियुक्त द्वारा कोठरी में 16 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मात्र 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

क्रमांक-59- 13 वर्ष की कन्या के साथ उसका अपहरण कर के अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये के अर्थ दण्ड भुगतने की सजा दी गई।

क्रमांक-31- अभियुक्त द्वारा 13 वर्ष की बालिका के साथ, जो अभियुक्त की लड़की की सहेली थी, बलात्कार किया गया। इस मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

Serial No.16 - A young girl of 14 years was raped by the accused. Court sentenced him to a rigorous sentence of 4 years only.

Serial No.17 - A young girl of 13 years was raped by the accused aged about 22 years. He was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years.

Serial No.22 - A handicapped, young girl of 15 years was raped by the accused who was sentenced to a rigorous imprisonment for 4 years only.

Serial No.40 - Accused aged about 21 years raped a young girl of 14 years in his shop at 10.30 p.m. and was sentenced to rigorous imprisonment for 7 years and fine of Rs.5,000/- only.

(iii) Cases of 16 to 18 years of age

Serial No.31 - A married lady of 17 years was raped by several persons, who were the Homeguard and PRD official, in her house in presence of her husband and brother-in-law. A rigorous imprisonment of 7 years and fine of Rs.2,500/- was imposed on each accused.

Serial No.50 - A young unmarried girl of 17 years was kidnapped and raped by two accused. They were sentenced to 8 years rigorous imprisonment.

Serial No.18 - Prosecutrix, ayed abcut 18 years was raped by accused aged about 23-24 years at the road beneath a mountain. He was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years and fine of Rs.500/- only.

Serial No.43 - Two persons raped a harijan lady aged

क्रमांक-16- अभियुक्त को 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 4 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-17- अभियुक्त, आयु 22 वर्ष, द्वारा 13 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसे 4 वर्ष का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-22- अभियुक्त द्वारा 15 वर्ष की अपंग, पागल लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-40- अभियुक्त, आयु 21 वर्ष, ने 14 वर्ष की बालिका के साथ अपनी दुकान में रात्रि 10.30 बजे बलात्कार किया। उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/= अर्थ दण्ड की सजा दी गई।

(ग) 16 से 18 वर्ष तक की आयु के मामले :-

क्रमांक-37- 17 वर्षीय विवाहित महिला के साथ कई व्यक्तियों, जो होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 कर्मचारी थे, द्वारा उसके मकान में उसके ही पति व देवर की उपस्थिति में बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 2500/- अर्थदण्ड की सजा दी गई।

क्रमांक-50- दो अभियुक्तों द्वारा 17 वर्ष की अभियोक्त्री का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया। जबकि अभियोक्त्री अविवाहित थी। अभियुक्तगण को 8 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक-18- अभियुक्त ने, जिसकी आयु 23-24 वर्ष थी, अभियोक्त्री से, जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, पहाड़ी के नीचे सड़क पर बलात्कार किया। अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास व रु0500/= अर्थदण्ड की सजा दी गई।

क्रमांक-43- दो अभियुक्तों द्वारा एक हरिजन युवती,

about 17 years at 7 p.m. and were sentenced to rigorous imprisonment for 7 years each.

Serial No.50 - Prosecutrix, an unmarried girl aged about 17 years was kidnapped and raped by two persons. Each of them was sentenced to rigorous imprisonment for 8 years.

Serial No.37 - Prosecutrix, aged about 17 years was kidnapped and raped by 5 persons. Court sentenced them to rigorous imprisonment for 5 years.

Serial No.14 - An insane, deaf and dumb girl of 16 years was raped by accused at 7 p.m.. Accused was sentenced to rigorous imprisonment of 3 years only.

Serial No.24 - Victim aged about 17 years was gang raped by three persons. Each of them was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years.

Serial No.25 - A young woman of 18 years was raped in her own house at about 10.30 a.m. Accused was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years and fine of Rs.500/- only.

(iv) Cases of age between 18 to 21 years

Serial No.36 - Accused persons gang raped the prosecutrix aged about 20 years in their own house. Each of them was sentenced to rigorous imprisonment for 6 years.

Serial No.61 - A young woman of 19 years was raped by accused in the wheat field at about 4 p.m. Accused was sentenced to rigorous imprisonent for 10 years and fine of Rs.500/- only.

Serial No.10 - Accused raped a young woman aged about 19 years in his shop at about 12.30 in the night. He was sentenced to rigorous imprisonment for 3 years and a fine of Rs.1,000/- only.

Serial No.30 - Accused person kidnapped the prosecutrix at

आयु लगभग 17 वर्ष, के साथ सायं 7·00 बजे बलात्कार किया गया और उनमें से प्रत्येक को 7 वर्ष का सश्रम कारावास का दण्ड दिया

क्रमांक 50- दो अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री [आयु 17 वर्ष] का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया जबकि अभियोक्त्री अविवाहित थी। अभियुक्तगण को 8 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 37- पाँच व्यक्तियों द्वारा अभियोक्त्री [आयु लगभग 17 वर्ष] का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उनमें से प्रत्येक अभियुक्त को पाँच वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 14- अभियुक्त द्वारा एक 16 वर्ष की युवती के साथ, जो पागल, गूँगी व बहरी थी, सायं 7·00 बजे बलात्कार किया गया और उसे मात्र तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 24- तीन व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया, जिसकी आयु 17 वर्ष थी। उनमें से प्रत्येक को मात्र चार-चार वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 25- लगभग 18 वर्ष की युवती के साथ उसके घर में 10·30 बजे दिन में बलात्कार किया गया और अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 500/- के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया।

[घ] 18 से 21 वर्ष आयु के मामले :-

क्रमांक 36- अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक रूप से अपने ही घर में अभियोक्त्री, आयु 20 वर्ष, के साथ बलात्कार किया गया। उनको 6-6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 61- लगभग 19 वर्ष की अभियोक्त्री के साथ 4·00 बजे सायं गेहूँ के खेत में बलात्कार करने में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रु0 500/- अर्थ दण्ड से दंडित किया गया।

क्रमांक 10- अभियुक्त द्वारा अपनी ही दुकान में 19 वर्ष की युवती के साथ 12·30 बजे रात्रि में बलात्कार किया गया और उसे मात्र 3 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 1500/- अर्थ दण्ड से दंडित किया गया।

क्रमांक 30 के मामले में अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण

knife point. Each of them was sentenced to a rigorous imprisonment for 5 years.

It is clear from the analysis that courts have not considered the age of victim while sentencing the accused which is a necessary element for awarding sentence. It is also clear that courts have not followed the uniform policy in awarding sentence to accused.

D. CASE WHERE PROSECUTRIX WAS FOUND HABITUAL TO SEXUAL INTERCOURSE

Prosecutrix is medically examined in every case of rape. Medical Officer gives his opinion, about the age of prosecutrix as well as whether rape has been committed or not? He is also required to indicate in the report whether prosecutrix is habitual to sexual inter course or not?

Medical report of every case under study was not available to us, but, generally, it is mentioned in the judgment as to whether, in the opinion of medical officer, victim/prosecutrix was habitual to sexual intercourse or not? In 48 cases, victim/prosecutrix was found habitual to sexual intercourse, while in 13 cases, she was not found habitual to sexual intercourse. In 65.75% cases victim/prosecutrix was habitual to sexual intercourse and an average sentence of 6.40 years was imposed against accused while in 17.80 percent cases, prosecutrix/victim was not found habitual to sexual intercourse and an average sentence of 5.77 years was imposed. In majority of cases, victim/prosecutrix was found habitual to sexual intercourse.

Nature of case	No.of cases	Percentage	Average sentence
Prosecutrix was habitual to sexual intercourse	48	65.75	6.48 years
Prosecutrix was not habitual to sexual intercourse	13	17.81	5.77 years
Information not available	12	16.44	5.82 years
TOTAL	73	100.00	

करके चाकू की नोक पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और अभियुक्तगण को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री की आयु को, सामान्यतः, बलात्कार के मामले में दण्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। अभियोक्त्री की आयु दण्ड पारित करते समय ध्यान में रखना एक आवश्यक तत्व है। उपरोक्त मामलों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दंडित करते समय एक सिद्धान्त नहीं अपनाये गये हैं।

(घ) मामले जिनमें अभियोक्त्री संभोग की आदी पाई गई :-

बलात्कार के प्रत्येक मामले में अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। जिसमें चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री की आयु के संबंध में रिपोर्ट दी जाती है, साथ-ही-साथ वे यह भी रिपोर्ट देते हैं कि वास्तव में उस महिला के साथ बलात्कार हुआ अथवा नहीं। चिकित्सा अधिकारी को जाँच के उपरान्त यह भी अभिमत देनी होती है कि क्या पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी थी अथवा नहीं।

वर्तमान शोधकार्य के अंतर्गत यद्यपि प्रत्येक मामले में चिकित्साधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, फिर भी निर्णय में न्यायालय द्वारा, सामान्यतः, यह अंकित किया गया है कि चिकित्साधिकारी की राय में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी थी अथवा नहीं। 48 मामलों में यह पाया गया कि पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी थी। जबकि 13 मामलों में चिकित्साधिकारी की राय में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी नहीं पायी गई, अर्थात् 65·75 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी पाई गई व औसत दण्ड 6·48 वर्ष का दिया गया। जबकि 17·80 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री को सहवास की आदी होना नहीं पाया गया व औसत दण्ड 5·77 वर्ष का दिया गया। इस प्रकार अधिकतर मामलों में पीड़ित महिला/अभियोक्त्री सहवास की आदी थी।

मामले का प्रकार	मामलों की संख्या	प्रतिशत	औसत दण्ड
अभियोक्त्री सहवास की आदी पाई गई	48	65·75	6·48 वर्ष
अभियोक्त्री सहवास की आदी होना नहीं पाई गई	13	17·81	5·77 वर्ष
सूचना उपलब्ध नहीं	12	16·44	5·82 वर्ष
योग-	73	100·00	

(E) RAPE IN SPECIAL CIRCUMSTANCES

(i) Rape with Step daughter

Serial No.63 - Accused an aged person, committed rape with his step daughter aged about 8 years in his house due to which she died. Accused was sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of Rs.1,000/- on the ground that he is a constable having no criminal history. Committing rape with his own 8 years daughter is one of the rare of the rarest case and a severe punishment should have been awarded to the accused. There was no ground to impose lesser sentence than the maximum punishment provided by law.

(ii) Rape by police Officer with a woman at the police Station or in his custody

Serial No.37 - Four officials of P.R.D. and home guard department committed rape with a lady and looted her money who had come to visit a village fare. They were found guilty u/s 394 and 376 I.P.C. and sentenced to 2 and 7 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs.2,500/- each respectively. Minimum sentence prescribed by law is 10 years of rigorous imprisonment but court had minimized the sentence on the ground that accused are young men. Committing rape by police officials is a heinous offence and a minimum sentence of 10 years of rigorous imprisonment is prescribed by law. There should be some specific reasons for reducing the sentence. Law prescribe a sevvre punishment in case of gang rape.

(ङ) विशेष परिस्थितियों में किये गये बलात्कार

(1) सौतेली पुत्री से बलात्कार

क्रमांक 63- अभियुक्त, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, ने अपनी सौतेली पुत्री, जिसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, के साथ अपने ही घर में बलात्कार किया। जिसके कारण अभियोक्त्री की मृत्यु हो गई। न्यायालय द्वारा उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड व रु0 1000/- अर्थ दण्ड की सजा दी गई और यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त सिपाही है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि इस प्रकार के मामलों में कठोरतम दण्ड दिया जाना उचित होता। अभियुक्त द्वारा अपनी 8 वर्ष की सौतेली पुत्री के साथ बलात्कार किया जाना गम्भीरतम अपराध है और इस प्रकार के मामले में कोई ऐसा न्यूनकारी कारण नहीं है जिससे अधिकतम सजा से कम सजा देने हेतु कोई आधार बनता।

(2) पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन अथवा उसकी अपनी अभिरक्षा की किसी महिला के साथ बलात्कार:-

क्रमांक 37- चार व्यक्तियों द्वारा, जो पी0आर0डी0 तथा होमगार्ड के कर्मचारी थे, मेले में आई हुई महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके रुपये भी छीन लिए। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 394 व 376 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषी पाते हुए क्रमशः 2 व 7 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 2500/- 2500/- अर्थ दण्ड की सजा दी गई। इस प्रकार के मामले में न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का निर्धारित किया गया है, किन्तु न्यायालय द्वारा इस आधार पर दण्ड कम कर दिया गया कि अभियुक्तगण नवयुवक हैं। पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किया जाना एक गम्भीरतम अपराध माना गया है इस कारण न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का सश्रम कारावास निर्धारित किया गया है। दण्ड की मात्रा कम करने हेतु अतिविशिष्ट कारण होना चाहिए। सामूहिक बलात्कार के मामले में अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिया जाना विधि द्वारा निर्धारित है।

Serial No.73 - Two constables of P.R.D. raped a woman in the kothari at railway station while she was waiting for a train. Both of them were sentenced to rigorous imprisonment of 10 years with a fine of Rs.5000/- each. It was held that there is no ground to sentence them for less than 10 years R.I, which is the minimum sentence prescribed by law. Hence, accused were sentenced to rigorous imprisonment for 10 years.

(iii) Cases where accused committed rape as trustee

Serial No.56 - Accused committed rape with his cousin sister, aged about 7 years, and thereafter murdered her by strangulating her neck. Accused was aged about 18 years at the time of occurrence and was convicted and sentenced to a rigorous imprisonment for 10 years u/s 376 I.P.C. and imprisonment for life under sec. 302 I.P.C. It was held that since a minor girl of 8 years was raped and murdered by the accused, no sympathy can be shown to him.

Serial No.58 - Accused committed rape with the victim aged about 8 years near a lake. Court held the age of accused as 15 years on 26.9.1987 i.e. date of occurrence and released him on probation giving thebenefit of Sec.27 of U.P. Childrens Act, 1961. This case shall again be discussed in the later part of the report as Juvenile Justice Act, 1986 had come into force on the date of occurrence and provisions of the Act shall be applicable in the case.

Serial No.39 - Accused kidnapped the prosecutrix aged about 19 years and raped her. Accused was living

क्रमांक 73- दो अभियुक्तों द्वारा, जो जी0आर0पी0 में तैनात थे, रेलवे स्टेशन पर इन्तजार कर रही महिला को अपनी कोठरी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 5000/- अर्थ दण्ड की सजा दी गई। न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध में उन्हें न्यूनतम 10 वर्ष से कम सजा देने का कोई आधार नहीं है। इस कारण अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

(3) मामले जिनमें अभियुक्त द्वारा न्यासी के रूप में कार्य करते हुए बलात्कार किया गया:-

क्रमांक 56- अभियुक्त द्वारा अपनी सगी चचेरी बहन, आयु लगभग 7 वर्ष, के साथ बलात्कार किया गया। तदुपरान्त उसका गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। घटना के समय अभियुक्त की आयु लगभग 18 वर्ष थी। न्यायालय द्वारा धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। निर्णय में यह कहा गया है कि चूंकि 8 वर्ष की एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया गया है और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई है, इसलिए यह किसी सहानुभूति का अधिकारी नहीं है।

क्रमांक 58- अभियुक्त ने अभियोक्त्री को नहर के पास झाड़ी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री की आयु मात्र 8 वर्ष थी। न्यायालय ने अभियुक्त की आयु घटना के दिनांक 26-9-87 को 15 वर्ष मानी है। यू0पी0 चिल्ड्रेन्स अधिनियम, 1961 की धारा 27 का लाभ देते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया। इस मामले पर इस रिपोर्ट में आगे विचार किया जाएगा क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 घटना की तिथि को लागू हो चुका था और उसके प्रावधान लागू होने चाहिए थे।

क्रमांक 39- अभियोक्त्री, आयु लगभग 19 वर्ष, को अभियुक्त भगा कर ले गया। अभियुक्त, अभियोक्त्री के

with cousin brother of prosecutrix and were known to each other. Accused was sentenced to rigorous imprisonment for 7 years. It was held that a severe punishment should be imposed in case where a married woman has been raped.

(iv) Rape with Harijan lady

Serial No.43 - Two accused committed rape with a harijan girl aged about 17 years in arhar field at about 7 p.m. Accused were convicted and sentenced to a rigorous imprisonment for 7 years. Court has not mentioned any ground in its order on the basis of which sentence has been awarded, but it appears that Court has taken into consideration this fact that accused belongs to upper caste while prosecutrix is a scheduled caste lady. Although Court was of the view that a severe punishment should be awarded to accused but minimum sentence of 7 years, as provided in the Indian Penal Code for an offence u/s 376, was awarded to them.

(v) Committing rape under fear

Six cases have been received in this research project in which victim was raped under fear of injury to her body or property.

Serial No.30 - A minor girl of 10 years was kidnapped and raped by 3 persons at different places under fear of causing bodily injury and death. All the accused were sentenced to rigorous imprisonment for 5 years. Although it was held that accused has committed a heinous offence but no ground was mentioned by the Court in awarding a lesser sentence

चचेरे भाई के यहां रहता था और एक दूसरे को जानते थे। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 भा0दं0सं0 के अंतर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाहित महिला के साथ बलात्कार के मामले में कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिए।

(4) हरिजन युवती से बलात्कार

क्रमांक 43- दो सवर्ण युवकों द्वारा एक हरिजन कन्या (आयु लगभग 17 वर्ष) के साथ शाम 7.00 बजे अरहर के खेत में बलात्कार किया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सात वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। दण्डादेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी आधार का वर्णन नहीं किया गया है जिस आधार पर दण्ड निर्धारित किया गया हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डादेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि अभियोक्त्री एक हरिजन युवती है तथा अभियुक्तगण सवर्ण हैं। यद्यपि न्यायालय ने यह कहा है कि अभियुक्तगण कठोर दण्ड पाने के अधिकारी हैं किन्तु धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त को 7 वर्ष के न्यूनतम कारावास की सजा दी गई।

(5) भय दिखाकर बलात्कार करना

इस प्रकार के कुल 6 मामले इस शोध कार्य में प्राप्त हुए जिनमें अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का भय दिखाकर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया।

क्रमांक 30- 10 वर्ष की अविवाहित कन्या के साथ उसका अपहरण कर भिन्न-भिन्न स्थानों में ले जाकर उसे शारीरिक पीड़ा पहुँचाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर तीन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को मात्र 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया। यद्यपि न्यायालय ने यह माना है कि अभियुक्तगण का अपराध गम्भीरतम प्रकृति का है किन्तु धारा 376 भा.दं.सं. में प्राविधानित न्यूनतम दण्ड से भी कम दण्ड देने का कोई

than the minimum prescribed by law.

Serial No.10 - Accused committed rape with a minor girl of 10 years in his shop at 12.30 a.m. at the point of knife. Accused was convicted and sentenced to rigorous imprisonment for 3 years and a fine of Rs.1,500/- on the ground that he is a young man of 22 years and is the only bread feeder for his family.

Serial No.38 - A girl aged about 18 years was kidnapped and kept at the different places. Accused raped her at the point of knife. He was sentenced to rigorous imprisonment for 7 years and fine of Rs.1,000/- only.

Serial No.63 - Two accused kidnapped and raped the prosecutrix at the point of knife. They were sentenced to a rigorous imprisonment for 10 years each.

Serial No.69 - Prosecutrix, her father and two persons were taken to some place by accused. Prosecutrix was raped by four persons at the gun point in presence of her father. Accused were convicted and sentenced to rigorous imprisonment for 10 years and to pay a fine of Rs.5,000/- each. Compensation of Rs.10,000/- was also awarded to the victim.

Serial No.52 - Two accused persons raped the victim at gun point in the evening at 6 p.m. and were sentenced to rigorous imprisonment for 8 years.

Serial No.53 - Accused raped the victim in her house at gun point at 9 p.m. He was sentenced to a rigorous imprisonment for 8 years.

All the above cases shows that in all cases, victim was raped putting her under fear but quantum of sentence differs in every case. Courts have considered different grounds in awarding the sentence. (Grounds have been

आधार अंकित नहीं है।

क्रमांक 10- अभियुक्त ने 10 वर्षीय अविवाहित कन्या के साथ रात्रि 12·30 बजे चाकू दिखाकर अपनी दुकान में बलात्कार किया। अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रु0 1500/- अर्थदण्ड की सजा दी गयी। यह आधार दिया गया कि अभियुक्त की आयु 22 वर्ष है एवं अपने परिवार की आजीविका चलाने वाला वह एकमात्र व्यक्ति है।

क्रमांक 38- के मामले में 18 वर्षीय बालिका का अपहरण करके उसे विभिन्न स्थानों पर रखा गया तथा चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु0 1000/- अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

क्रमांक 63- दो अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण कर चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा उन्हें 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया।

क्रमांक 69- अभियोक्त्री, उसके पिता व दो अन्य व्यक्तियों को ट्रक में बैठाकर किसी स्थान पर ले जाकर उनकी उपस्थिति में अभियोक्त्री के साथ बन्दूक की नोक पर चार व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया। अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रु0 5000/--5000/- अर्थदण्ड की सजा दी गयी। अर्थदण्ड के भुगतान के उपरान्त रु0 10,000/- अभियोक्त्री को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया गया।

क्रमांक 52- दो अभियुक्तों द्वारा शाम 6·00 बजे बन्दूक की नोक पर बलात्कार किया गया तथा न्यायालय ने उन्हें 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया।

क्रमांक 53- अभियुक्त ने अभियोक्त्री के घर में घुसकर राईफल की नोक पर रात्रि 9·00 बजे बलात्कार किया। अभियुक्त को 8 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया।

उपरोक्त मामलों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मामले में अभियोक्त्री को भय दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, किन्तु प्रत्येक मामले में दण्ड की मात्रा भिन्न है एवं भिन्न आधारों को दृष्टिगत रखते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। (आधारों को संलग्न

shown in the attached master chart). In all the above mentioned cases, Court has not considered the fact that accused has committed rape with the prosecutrix under fear of death, hence the offence is more heinous in comparision to an ordinary case of rape.

(vi) Rape with a minor girl below 12 years of age

Section 376(2) (f) of Indian Penal Code provides that if, a rape is committed with a girl up to 12 years age, accused shall be punished with an imprisonment for life which shall not be less than 10 years, fine shall also be imposed. Court may impose a sentence of less than 10 years by giving special reasons for doing so.

Serial No. 62.

Accused raped a minor girl aged about 5-6 years in her house and was convicted and sentenced to a rigorous imprisonment for 10 years. No fine was imposed.

Serial No. 40

A minor girl aged about 9-10 years was raped by accused in a Nala, while the co-accused keeps on standing there. It was held by the Court that-

No sympathy could be shown to accused as the offence is very heinous in nature but the accused were sentenced to a rigorous imprisonment for 5 years only & no fine was imposed.

Serial No. 21.-

Accused raped a minor girl aged about 10-11 years at 4 p.m. It was held that the age of the victim was 10-11 years at the time of occurrence, but accused was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years and a fine of 1000/- only.

Serial No.8.

Accused aged about 19 years raped a

मास्टर चार्ट में दर्शाया गया है।।। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय ने दण्डादेश पारित करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि अभियोक्त्री को जान से मारने का भय दिखा कर उसके साथ बलात्कार किया गया है, इसलिए सामान्य श्रेणी के बलात्कार से अधिक गम्भीर प्रकृति का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है।

।6। बारह वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के मामले-

धारा 376।2।।एफ। भा॰दं॰सं॰ के अनुसार यदि किसी 12 वर्ष तक की बालिका के साथ बलात्कार किया जाता है तो अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है, दिया जायगा। इसके साथ अर्थदण्ड भी आरोपित किया जायगा। यद्यपि विशेष मामलों में विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय 10 वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है।

क्रमांक 62- अभियुक्त ने 5 1/2-6 वर्ष की कन्या के साथ अपने ही घर में दोपहर में बलात्कार किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया, किन्तु अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

क्रमांक 40- अभियुक्त द्वारा 9-10 वर्ष की नाबालिग कन्या के साथ नाले में बलात्कार किया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त वहीं खड़ा रहा। न्यायालय ने आदेश में यह माना कि अपराध गम्भीरतम प्रकृति का है, अतएव अभियुक्तगण के साथ कोई सहानुभूति नहीं बरती जानी चाहिए। परन्तु मात्र 5-5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। कोई अर्थदण्ड लगाया नहीं गया।

क्रमांक 21- अभियुक्त ने 10-11 वर्ष की नाबालिग कन्या के साथ सायं 4.00 बजे बलात्कार किया। न्यायालय के अनुसार घटना के समय अभियोक्त्री की आयु मात्र 10-11 वर्ष थी। अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 1,000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

क्रमांक 8- अभियुक्त, आयु लगभग 19 वर्ष ने,

minor girl of 9 years at 6 p.m. in the verandah of her house. Accused was sentenced to a rigorous imprisonment for 2 years on the ground that he belongs to a poor family and his old parents are dependant upon him. Age of the victim was not considered in awarding sentence.

Serial No.44 - Accused aged 19 years committed rape with a girl of 10 years at 12 in the noon in the cattle yard. Considering the heinousness of offence, court sentenced the accused to undergo rigorous imprisonment for 7 years. No ground was mentioned for not imposing the fine or awarding a lesser sentence than the minimum sentence of 10 years, as prescribed.

Serial No.23 - Accused, aged about 14 years, raped a minor girl of 6 years in a sugarcane field. It was held, while awarding sentence to accused, that accused is a child offender and he was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years u/s 33 (J) of U.P. Childrens Act, 1951.

Serial No.2 - Accused aged about 20 years raped a minor girl of 11 years in a filed. Considering his young age, Court released him on probation for one year giving the benefit of provisions of First Offenders Act. Although, this Act is not applicable in a case u/s 376 I.P.C.

Serial No.3 - Two accused aged about 17 and 19 years raped a minor girl of 9 years at about 5 p.m. in a field. Considering the age of accused, Court released them on probation of good behaviour for one year. It was against the provisions of law.

Serial No.4 - An innocent baby of 4-5 years was

9 वर्ष की नाबालिग कन्या के साथ उसके ही घर के बरामदे में सायं 6·00 बजे बलात्कार किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मात्र दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड इस आधार पर दिया गया कि अभियुक्त देहात के गरीब परिवार का है तथा उसके वृद्ध माता-पिता उस पर आश्रित हैं। अभियोक्त्री की आयु दण्डादेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखी गयी।

क्रमांक 44- अभियुक्त, आयु लगभग 19 वर्ष ने गाँव के चारागाह में अभियोक्त्री, आयु लगभग 10 वर्ष, के साथ दिन के 12·00 बजे बलात्कार किया। न्यायालय ने अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध 7 वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश पारित किया। न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष से कम दण्ड देने अथवा कोई अर्थदण्ड न लगाये जाने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया।

क्रमांक 23- अभियुक्त (आयु लगभग 14 वर्ष) ने, 6 वर्षीय नाबालिग कन्या के साथ गन्ने के खेत में बलात्कार किया। दण्डादेश पारित करते समय विस्तृत विवेचना के उपरान्त न्यायालय ने यह माना कि, अभियुक्त बाल अपराधी की श्रेणी में आता है तथा उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 की धारा 33(जे) के अन्तर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी।

क्रमांक 2- 20 वर्षीय अभियुक्त द्वारा खेत में 11 वर्षीय नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्त की युवावस्था को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा उसे यू0पी0 फर्स्ट अफेन्डर एक्ट का लाभ देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। यह अधिनियम इस अपराध में लागू नहीं होता है।

क्रमांक 3- दो अभियुक्तों, आयु क्रमशः 17 व 19 वर्ष, द्वारा 9 वर्षीय नाबालिग कन्या के साथ सायं 5·00 बजे खेत में बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की युवावस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया गया। यह भी विधि विरुद्ध था।

क्रमांक 4- 15 वर्षीय अभियुक्त द्वारा 4-5 वर्ष

raped by accused aged about 15 years. Court released him on probation giving the benefit of his young age while he remained in jail for 7 months during trial. This case shall again be discussed in the later part of the report.

Serial No.15 - Accused committed rape with a minor girl of 9 years and also stolen some ornaments. He was sentenced to undergo rigorous imprisonment for 3 years and a fine of Rs.500/-. It is mentioned in the order that since accused has raped a minor girl of 9 years hence, severe punishment should be awarded to him, but court has not mentioned any ground for imposing a lesser sentence than the minimum prescribed by law.

Serial No.5 - Accused raped a minor girl aged about 10 years in a field at 4 p.m. on 30.11.1988. It was held by the court that accused was minor at the time of occurrence and was brought to court from the childrens jail. Accused was released on probation giving the benefit of U.P.Childrens Act, 1951. Juvenile Justice Act has come into force in the year 1986 and all the cases relating to juveniles had to be tried by the juvenile court and not by the ordinary sessions court.

Serial No.57 - Accused raped a minor girl of 6-7 years in his house and was sentenced to a rigorous imprisonment for 10 years and fine of Rs.1,000/-. Court released him on probation, for two years to keep good behaviour, on the ground that his age is below 16 years. Accused was sent to jail in default of furnishing the surety bonds. Accused cannot be released on probation after awarding sentence to him.

Serial No.1 - Two accused persons aged about 18 years raped a minor girl of 11,12 years in the evening at the bank of a river. They were released on probation for keeping good behaviour for one year.

According to Section 4 of probation of

की अबोध कन्या के साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त की आयु के आधार पर उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया, जबकि अभियुक्त पिछले 7 मास से जेल में था। मामले की विस्तृत विवेचना रिपोर्ट के अग्रिम भाग में की गई है।

<u>क्रमांक 15</u>- अभियुक्त ने 9 वर्ष की नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार किया तथा जेवरात चुराये। अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और रु0 500/- के अर्थदण्ड की सजा दी गई। न्यायालय द्वारा आदेश में यह अंकित किया गया है कि चूंकि अभियुक्त द्वारा 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया है, अतः उसे समुचित रूप से दण्डित किया जाना आवश्यक होगा, किन्तु न्यूनतम दण्ड से कम दण्ड देने का कोई आधार नहीं दर्शाया गया है।

<u>क्रमांक 5</u>- 10 वर्षीय बालिका के साथ दिनांक 30•11•88 को अभियुक्त ने सायं 4•00 बजे खेत में बलात्कार किया। न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार घटना के समय अभियुक्त नाबालिग था एवं परीक्षण के दौरान बच्चा जेल से न्यायालय आया। अभियुक्त को उ0प्र0 बाल अधिनियम, 1951 का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर रिहा किया गया। वर्ष 1986 में किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया था। इसके उपरान्त किशोर अपराधियों से संबंधित सभी विचाराधीन मामले किशोर न्यायालय द्वारा सुने जाने थे, न कि सामान्य सत्र न्यायालय द्वारा।

<u>क्रमांक 57</u>- अभियुक्त द्वारा 6-7 वर्ष की कन्या के साथ अपने ही घर में बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा रु0 1,000/- अर्थदण्ड की सजा दी गयी, किन्तु अभियुक्त को 16 वर्ष से कम आयु का मानते हुए उसे दो वर्ष तक अच्छा चाल-चलन बनाए रखने के लिए परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा जमानत दाखिल न कर पाने के कारण उसे जेल भेज दिया गया। अभियुक्त को दण्ड देकर परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

<u>क्रमांक 1</u>- 18 वर्ष से कम आयु के दो अभियुक्तों द्वारा 11, 12 वर्ष की नाबालिग कन्या के साथ सूर्यास्त के समय नदी के कगारे के पास बलात्कार किया गया। अभियुक्तगण को एक वर्ष के अच्छे चाल-चलन की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार

offenders Act, 1958, benefit of the Act can not be given to a person who has committed an offence punishable with death or imprisonment for life. If accused is juvenile within the definition of Juvenile Justice Act, 1986, than he shall be tried by the juvenile courts.

Age of victim was below 12 years in all the above mentioned case. Acc. to Sec.376(2)(f) I.P.C., a minimum sentence of 10 years, or life imprisonment has not been awarded in any case. It was mandatory to impose fine, but that too has not been imposed in any case.

It is clear that courts had considered different grounds at the time of awarding the sentence. Courts should mention the special reasons while awarding a sentence less than the prescribed; but Courts have not considered any special ground in awarding the sentence less than the minimum sentence prescribed by law.

(vii) Rape with an insane, handicapped, and minor girl

Serial No.22 - Accused raped a handicaped, insane, minor girl of 15 years in a garden at 5.30 p.m. He was sentenced to a rigorous sentence of 4 years only. Court has not mentioned any ground for awarding a sentence less than the minimum sentence prescribed by law.

Serial No.14 - Accused raped a 16 years old insane, deaf and dumb girl at 7 p.m. in a garden and was sentenced to rigorous imprisonment for 3 years only. Court had not considered any special ground in awarding the sentence. A sentence less than the minimum prescribed by law was imposed on the ground that accused had raped her taking the advantage of her being wandering here and there in the night.

किसी व्यक्ति को, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, के मामले में इस अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है तथा यदि अभियुक्त किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत "किशोर" की परिभाषा में आता है तो उसका विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया जायगा।

उपरोक्त समस्त मामलों में घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष से कम थी, धारा 376(2)(एफ), भा0दं0सं0 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध न्यूनतम सजा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया जाना चाहिए था, जो आजीवन कारावास तक हो सकता था, किन्तु किसी भी मामले में आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई है। अर्थदण्ड लगाना बाध्यकारी प्रावधान था, किन्तु उसका भी अनुपालन नहीं हुआ है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि दण्डादेश पारित करते समय विभिन्न न्यायालयों को प्रावधानित न्यूनतम सजा की जानकारी ही नहीं है तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दण्डादेश पारित करते समय भिन्न-भिन्न आधारों पर विचार किया गया है। न्यूनतम से कम सजा देने की स्थिति में न्यायालय को विशेष आधारों का भी उल्लेख करना चाहिए था, किन्तु किसी भी मामले में किसी विशेष आधार को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम दण्ड नहीं दिया गया।

7. अपंग, पागल तथा अल्प वयस्क बालिका के साथ बलात्कार

क्रमांक 22- अभियुक्त द्वारा 15 वर्ष से कम आयु की अपंग, पागल व अल्प वयस्क बालिका के साथ सायंकाल 5.30 बजे बगीचे में बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को मात्र 4 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। न्यायालय द्वारा न्यूनतम से कम दण्ड देने का कोई आधार नहीं दर्शाया गया है।

क्रमांक 14- अभियुक्त द्वारा 16 वर्षीय पागल, गूँगी, बहरी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर सायंकाल 7.00 बजे बाग में बलात्कार किया गया। अभियुक्त को मात्र तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया। इस दण्ड को आरोपित करते समय न्यायालय द्वारा किसी विशेष आधार को विचार में नहीं लिया गया, अपितु इस आधार पर न्यूनतम से कम दण्ड दिया गया कि अभियोक्त्री गूँगी, बहरी और पागल होने के कारण अकेले इधर-उधर घूमा करती थी एवं इसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने बलात्कार किया।

This was a ground for enhancing the sentence but court has reduced it by wrongly giving its benefit to accused.

(viii)Gang Rape

Sec. 376(2)(g) I.P.C. provides that if a woman is gang raped than accused shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may be for life and shall also be liable to fine. Explanation 1 of Sec. 376(2) I.P.C. provides that "Where a woman is raped by one or more in a group of persons acting in furtherance of their common intention, each of the persons shall be deemed to have committed gang rape."

Proviso to Section 376(2) I.P.C. provides that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment of either description for a term of less than 10 years.

Now, we have to scrutinize the cases, keeping in view the above noted provisions, as to whether the legal provisions has been followed by the courts at the time of awarding the sentence.

Serial No.36 - Two accused persons detained the victim in wrongful confinement with the help of another woman accused and gang raped the victim with five other unknown persons. Court found the accused guilty of gang rape but sentenced them to a rigorous imprisonment for 6 years only. No reason was mentioned by the court for imposing a sentence of less than 10 years. No fine was imposed upon the accused.

Serial No.67 - Two persons raped a girl aged about 17 - 18 years. Court hold them guilty of gang rape and sentenced to a rigorous imprisonment of 10 years each but no fine was imposed.

उक्त कारण एक ऐसा आधार था, जिसके द्वारा सजा की मात्रा बढ़ सकती थी, परन्तु उसे गलत तौर से प्रयोग कर न्यूनतम से कम दण्ड अधिरोपित किया गया।

(8) कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार

धारा 376(2)(जी) भा0दं0सं0 के अनुसार, यदि किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो अभियुक्त को कम से कम 10 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का दण्ड दिया जायेगा तथा उसको अर्थदण्ड की सजा भी दी जायगी। स्पष्टीकरण-1 के अनुसार, यदि एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय की पूर्ति में समूह बनाकर किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाना माना जायगा।

धारा 376(2), भा0दं0सं0 के प्रावधान के अनुसार विशेष व उचित कारणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय अभियुक्त को 10 वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है।

उल्लिखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए अब यह मीमान्सा भी की जानी है कि विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त निर्णयों में क्या इस प्रकार के मामलों में दण्डादेश पारित किये जाते समय ये सिद्धान्त अपनाये गये हैं अथवा नहीं।

क्रमांक 36- दो अभियुक्तों ने एक तीसरी महिला अभियुक्त की सहायता से अभियोक्त्री को अवैधानिक अभिरक्षा में रखा और अन्य पाँच अज्ञात व्यक्तियों के साथ, अभियोक्त्री से सामूहिक बलात्कार किया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को इस सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए दण्डित किया गया। किन्तु मात्र 6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। न्यूनतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड न देने का कोई आधार अंकित नहीं किया गया, साथ ही कोई अर्थ दण्ड भी नहीं लगाया गया।

क्रमांक 67- दो अभियुक्तों ने 16 से 18 वर्ष के मध्य की आयु की युवती के साथ बलात्कार किया। इन दो ही व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सामूहिक बलात्कार की परिभाषा के अन्तर्गत दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया, परन्तु अर्थदण्ड की सजा नहीं दी गई।

Serial No.69: Four accused presons gang raped a womenat gun point in presence of her husband, brother-in-law and other relative. Court found them quilty of gang rape and sentenced them to undergo rigorous imprisonment for 10 years and pay a fine of Rs.5000/- each. Compensation of Rs.10,000/- was awarded to victim out of the amount of fine deposited by accused.

Serial No.24: Three persons gang raped a married women. They were sentenced to rigorous imprisonment for 4 years each on the ground of them being the members of one family. No order for payment of fine was passed.Ground shown was not sufficient to reduce the sentence.

Serial No.71: 5 persons including three policemen gang raped the victim. Each of them was sentenced to undergo a rigorous imprisonment for 10 years and pay a fine of Rs.1,000/-. No reason was expressed by the Court for not imposing a sentence more than the minimum prescribed by law.

Serial No.72: Accused alongwith two other persons gang raped the prosecutrix. He was convicted and sentenced to undergo rigorous imprisonment for 10 years on the ground that his old parents are dependent upon him. No fine was imposed.

Serial No.4: Three accused gang raped the prosecutrix in her house in night.They were found guilty of gang rape u/s. 376 I.P.C., but sentenced to under go rigorous imprisonment for 7 years and pay a fine of Rs.500/- only. No reason was mentioned by the Court for not awarding the minumum sentence of 10 years R.I. as provided by law.

क्रमांक 69- चार व्यक्तियों द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक रूप से उसके पति, देवर व अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में बन्दूक की नोक पर बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा इस अपराध को सामूहिक बलात्कार का अपराध मानते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दी गई। अर्थ दण्ड की अदायगी के उपरान्त रु0 10,000/- पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी गयी।

क्रमांक 24- व्यक्तियों द्वारा एक विवाहित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। न्यायालय ने अभियुक्तगण को एक ही परिवार का होने के कारण 4-4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। अर्थ दण्ड के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। यह कारण दंड को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

क्रमांक 71- पाँच व्यक्तियों द्वारा, जिनमें तीन पुलिस कांस्टेबिल थे, अभियोक्त्री के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/-रुपये अर्थ दण्ड की सजा दी। न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड न देने का कोई आधार निर्णय से स्पष्ट नहीं होता।

क्रमांक 72- अभियुक्त व दो अन्य व्यक्तियों ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार का अपराध किया। अभियुक्त के वृद्ध माता-पिता के उस पर आश्रित होने के आधार पर अभियुक्त को न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। कोई अर्थ दण्ड नहीं दिया गया।

क्रमांक 4- तीन अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री के ही घर में घुस कर उसके साथ रात्रि में सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। अभियुक्तगण को धारा 376 के अन्तर्गत सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया गया। लेकिन अभियुक्त को मात्र 7 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया। रु0 500/- अर्थदण्ड की सजा भी दी गई। न्यूनतम 10 वर्ष से कम दण्ड दिए जाने का कोई भी आधार अंकित नहीं किया गया।

Serial No.54: 6 persons gang raped a married woman at pistol point in presence of her husband at 12 in the night. They were found guilty u/s. 376(2)(g) I.P.C. and sentenced to under go rigorous imprisonment for 8 years on the ground that in the case of gang rape, sentence, more than the minimum, prescribed by law is 10 years. It appears that Court was ignorant about the minimum sentence prescribed u/s. 376(2) I.P.C.

All the above mentioned cases have been decided by different Presiding officers in different districts but this fact is common in all the cases that courts have not mentioned the reasons, while awarding the sentence less than the prescribed by law, as well as minimum sentence has been awarded in very less number of cases; Courts have not imposed the fine while it is a mandatory provision. Different sentences were awarded in different cases under similar circumstances.

S.No. according to Master Chart	Sections under which accused is convicted	Sentence passed by the court		Orders of the Court about different sentences	Sentence preseribed by law.
		Imprisonment	Fine		
06	366 I.P.C.	Already undergone	-	-	10 yrs & fine
	368 I.P.C.	-	-	-	-
	376 I.P.C.	-	-	-	Minimum 10 yrs. & fine

क्रमांक 54- छः व्यक्तियों द्वारा एक विक्षोभित महिला के साथ रात्रि 12·00 बजे तमन्चे की नोक पर उसके पति के सामने बलात्कार किया गया। इन अभियुक्तों को न्यायालय ने धारा 376(2)(जी), भा·दं·सं· का दोषी पाया तथा 8-8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा इस आधार पर दी कि सामूहिक बलात्कार के अपराध में कम-से-कम निर्धारित सजा से थोड़ी अधिक सजा देना आवश्यक है। इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की ही सजा निर्धारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को यह भी ज्ञान नहीं था कि न्यूनतम दण्ड कितना है।

उपरोक्त सभी मामले विभिन्न जनपदों के विभिन्न न्यायालयों में पृथक-पृथक पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णीत किये गये हैं, किन्तु सामान्य रूप से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा न्यूनतम दण्ड से भी कम दण्ड दिये जाने के लिए, जिन उचित व आवश्यक कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए, उनका उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही न्यूनतम दण्ड भी बहुत कम मामलों में अधिरोपित किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड लगाना भी बाध्यकारी था, किन्तु सामान्य रूप से न्यायालयों द्वारा अर्थदण्ड भी नहीं लगाया गया है और एक ही प्रकार के विभिन्न मामलों में विभिन्न दण्डादेश पारित किये गये।

मास्टर चार्ट के अनुसार मामले का क्रमांक	धाराएं जिनके अंतर्गत अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया	न्यायालय द्वारा प्रत्येक धारा में पारित दंडादेश कारावास	अर्थदंड रुपये में	विभिन्न दंडों के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश	विधि द्वारा प्रावधानित दण्ड
1	2	3		4	5
06	366 368 376	पूर्व में भोगी-जेल की अवधि-से- ही दोहरा	-	10 वर्ष तक एवं अर्थदण्ड न्यूनतम 10 वर्ष तक एवं अर्थ दण्ड	

13	366 I.P.C.	2 yrs.	-	Concurr-ent	10 yrs. & fine
	376 I.P.C.	3 yrs.	-		Minimum 10 yrs. & fine
18	366 I.P.C.	3yrs.	200/-	-do-	10 yrs & fine
	376 I.P.C.	4 yrs.	500/-		Minimum 10 yrs. & fine
20	376 I.P.C.	4 yrs.	-	-	Minimum 10 yrs & fine
23	376 I.P.C.	4 yrs	-	-	- do -
27	366 I.P.C.	3 yrs.	-	Concurr-ent	10 yrs. and fine
	368 I.P.C.	3 yrs.	-		7 yrs. and fine
	376 I.P.C.	5 yrs.	-		Minimum 10 years & fine
29	366 I.P.C.	3 yrs.	100/-	-do-	10 yrs.& fine
	376 I.P.C.	5 yrs.	100/-		Minimum 7 yrs. and fine
30	366 I.P.C.	3 yrs.	-	Concurr-ent	10 yrs & fine
	368 I.P.C.	3 yrs.	-		Minimum 10 yrs. & Fine
31	363 I.P.C.	2 yrs.	500/-	-do-	7 yrs. & fine
	376 I.P.C.	5 yrs.	1000/-		Minimum 10 yrs & fine
60.	363 I.P.C.	2 yrs.	- do -		7 yrs. & fine
	366 I.P.C.	5 yrs.	1,000/-		10 yrs. & fine
	376	10 yrs.	1,000/-		10 yrs. & fine

1	2	3	4	5	
13.	366	2 वर्ष	-	-तदैव-	10 वर्ष तक एवं अर्थ दंड
	376	3 वर्ष	-		न्यूनतम 10वर्ष एवं अर्थ दंड
18.	366	3 वर्ष	200/-	-तदैव-	10 वर्ष तक एवं अर्थदंड
	376	4 वर्ष	500/-		न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थदंड
20.	376 भा0दं0सं0	4 वर्ष	-	-तदैव-	न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थदण्ड
23.	376 भा0दं0सं0	4 वर्ष	-	-तदैव-	न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थ दण्ड
27.	366 भा0दं0सं0	3 वर्ष	-	सजाएं एक साथ चलेंगी।	10 वर्ष एवं अर्थदण्ड
	368 भा0दं0सं0	3 वर्ष	-		7 वर्ष एवं अर्थदण्ड
	376 भा0दं0सं0	5 वर्ष	-		न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थ-दण्ड
29.	366	3 वर्ष	100/-	-तदैव-	10 वर्ष एवं अर्थदण्ड
	376 भा0दं0सं0	5 वर्ष	100/-		न्यूनतम 7 वर्ष एवं अर्थदण्ड
30.	366	3 वर्ष	-	-तदैव-	10 वर्ष एवं अर्थदंड
	368	3 वर्ष	-		न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थ दण्ड
	376 भा0दं0सं0	5 वर्ष	-		
31.	363	2 वर्ष	500/-	सजाएं एक साथ चलेंगी	7 वर्ष तक अर्थदण्ड
	376 भा0दं0सं0	5 वर्ष	1000/-		
60.	363	2 वर्ष	-	-तदैव-	7 वर्ष एवं अर्थदण्ड
	366	5 वर्ष	1000/-		10 वर्ष तक एवं अर्थदंड
	376	10 वर्ष	1000/-		न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थदंड

64	363 I.P.C.	3 yrs.	-	-do-	7 yrs. & fine
	366 I.P.C.	3 yrs.	-		10 yrs. & fine
	368 I.P.C.	5 yrs.	-		
	376 I.P.C.	10 yrs.	-		Minimum 10 yrs. & fine
65	366 I.P.C.	5 yrs.	-	-do-	10 yrs. & fine
	376 I.P.C.	10 yrs.	10,000/-		Minimum 10 yrs. & fine

A study of all above cases reveals that in most of cases, neither specific principle has been adopted nor specific grounds for sentencing are mentioned. In some cases, irrational grounds have been used.

(ix) Kidnapping/abduction and rape

Rape is a heinous offence. An offence punishable u/s. 376 I.P.C. is triable by the court of sessions. If rape is committed in a planned way after kidnaping or abducting the prosecutrix then the offence becomes more grevious in nature.

Serial No.27: Three persons forcibly kidnapped a married woman and gang raped her. Accused were found guilty and sentenced to a rigorous imprisonment, for 3 years u/s 368 I.P.C. 5 years u/s.376 I.P.C. while Sec.376(2)(g) I.P.C. provides a minimum sentence of 10 years and fine. Sentence of 10 years could also be awarded u/s. 366 & 376 I.P.C.

64.	363	3 वर्ष	-	-तदेव-	7 वर्ष तक एवं अर्थदंड
	366	3 वर्ष	-		10 वर्ष तक एवं अर्थ दंड
	368	5 वर्ष	-		
	376	10 वर्ष			न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थ दंड
65.	366	5 वर्ष		-तदेव-	10 वर्ष तक एवं अर्थ दंड
	376	10 वर्ष	10,000/		न्यूनतम 10 वर्ष एवं अर्थदंड

उपरोक्त समस्त मामलों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर मामलों में न्यायालय द्वारा किसी भी स्पष्ट सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है और न ही स्पष्ट आधार वर्णित किये गये हैं। कुछ मामलों में असंगत आधारों को प्रयोग भी किया गया है।

9. अपहरण/ व्यपहरण करके बलात्कार करना :-

धारा 376, भा.दं.सं. के अनुसार बलात्कार एक गम्भीर अपराध है। इसी कारण इसे सदा न्यायालय द्वारा परिक्षणीय रखा गया है। यदि अभियोक्त्री का नियोजित ढंग से अपहरण/व्यपहरण करने के उपरान्त उसके साथ बलात्कार किया जाता है तब अपराध की गम्भीरता और बढ़ जाती है।

क्रमांक 27. तीन व्यक्तियों द्वारा एक विवाहित युवती को भय दिखाकर अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 368 के अन्तर्गत तीन वर्ष, धारा 376 के अंतर्गत पांच वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया, जबकि धारा 376(2)(जी), भा.दं.सं. के अनुसार सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष एवं अर्थदण्ड है तथा धारा 366 तथा 376 में प्रत्येक के लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है।

Serial No.29: Accused kidnapped a 18 years old married woman and raped her. It was held by the court that no sympathy could be shown to accused but sentenced the accused u/s. 376 I.PC.to undergo rigorous imprisonment for 5 years and fine of Rs.1000/- There was no ground to award a sentence of less than 7 years.

serial No.30: An ummarried girl aged about 19 years was kidnapped and raped by three accused persons. She conceived and got aborted. Court was of the opinion that no leniency should be shown against accused but sentenced them to rigorous imprisonment of 5 years only. There was no ground to award a sentence less than the minimum prescribed by law. The sentence could had been enhanced as the offence of kidnapping and abortion were also committed by the accused.

Serial No.31: Two accused kidnapped a minor girl of 15 years. One of them raped her. Court was of the view that there is no ground to award a sentence less than the minimum prescribed by law. Accused was sentenced to rigorous imprisonment for 5 years and fine of Rs.1000/-. Although Court was of the view that there is no reason to award a sentence less than the prescribed by law, even than a sentence of 5 years rigorous imprisonment was imposed..

Serial No.20: Accused kidnapped a married woman of 18 years, promising to get her employed and raped her. He was sentenced to rigorous imprisonment for 4 years. No ground was mentioned by the court for awarding sentence of 4 years.

Serial No.23: A young lady aged about 17-18 years was kidnapped by five persons. One of them raped her. Rigorous imprisonment for 3 years u/s. 363 I.P.C. and 5 years u/s. 376 I.P.C.

क्रमांक 29- अभियुक्त 18 वर्ष की विवाहित महिला को धोखा देकर अपने साथ ले गया और बलात्कार किया। न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त के साथ उदारता दिखाना उचित नहीं है एवं अभियुक्त को धारा 376, भा॰दं॰सं॰ के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु0 1000/- अर्थदण्ड की सजा दी गई। सात वर्ष के न्यूनतम दंड से कम सजा देने का कोई आधार नहीं था, जैसा कि न्यायालय ने स्वयं पाया।

क्रमांक 30- तीन अभियुक्तों द्वारा लगभग 19 वर्षीय अविवाहित स्त्री का अपहरण करके बलात्कार किया गया। उसके गर्भवती होने के बाद गर्भपात भी कराया गया। न्यायालय के मत में, अभियुक्तगण के साथ, उदार दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं था, तथापि सामूहिक बलात्कार के इस मामले में तीनों अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। न्यूनतम से कम दण्ड देने का कोई आधार नहीं था तथा अपहरण व गर्भपात कराने से दो अन्य अपराध भी किए गये जिसके कारण दंड और अधिक हो सकता था।

क्रमांक 31- दो अभियुक्तों द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण करने के उपरान्त एक अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय के मतानुसार अभियुक्त को न्यूनतम से कम दण्ड देने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु0 1,000/- अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया। न्यूनतम से कम सजा देने का कोई आधार न्यायालय के मत में ही नहीं था फिर भी कम दंड दिया गया।

क्रमांक 20- अभियुक्त द्वारा 18 वर्षीय विवाहित महिला को नौकरी दिलवाने का बहाना बनाकर अपहरण करके बलात्कार किया गया। अभियुक्त 4 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया किन्तु कोई आधार अंकित नहीं किया गया।

क्रमांक 23- पाँच अभियुक्तों द्वारा 17-18 वर्षीय अभियोक्त्री का षड्यंत्र रचकर अपहरण किया गया तथा एक अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। धारा 363, भा॰दं॰सं॰ के

was awarded but no ground was mentioned by the court to award a lesser sentence than the minimum prescribed for the offence.

Serial No.18: A minor girl of 15 years was kidnapped and raped by the accused. He was sentenced to rigorous imprisonmnt for 4 years and fine of Rs.500/- on the ground that he is a married and young boy. This gound is not sufficient to reduce the sentence.

Serial No.13: 19 years old married woman was kidnapped and raped by accused persons who were her relatives. They were sentenced u/s. 376 I.P.C. to undergo a rigorous imprisonment of 3 years on the ground that victim and accused are members of same and a well reputed family. This could not be a ground for reducing the sentence to 3 years only.

Serial No.6: Accused kidnapped and raped the 18-19 years old daughter of his master. He confessed the guilt in court. He was sentenced to an imprisonment already undergone in jail, which was about 5 months, on the ground that accused is a young boy of 20-22 years and it is necessary to save him from the company of habitual offenders. This is not a sufficient ground to award a sentence lesser than the prescribed by law because some specific and sufficient grounds are required to award such a penalty. Moreso, this ground can be used in every case which is not valid.

Serial No.60: 18 years old married women was kidnapped and raped by the accused. He was sentenced to undergo rigorous imprisonment for 10 years and to pay a fine of Rs.1000/- only.

Serial No.64: Three persons kidnapped & raped a 16 years

अंतर्गत तीन वर्ष एवं धारा 376 भा॰दं॰सं॰ के अंतर्गत पाँच वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया। किन आधारों पर दण्डादेश पारित किया गया है, इसका वर्णन आदेश में अंकित नहीं किया गया है। न्यूनतम दंड से भी बहुत कम दंड दिया गया।

क्रमांक 18- अभियुक्त द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण करके बलात्कार किया गया। अभियुक्त की युवावस्था एवं विवाहित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु0 500/- के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। यह आधार दंड कम करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

क्रमांक 13- 19 वर्षीय विवाहित महिला को अभियुक्तगण ने, जो उसके ही रिश्तेदार थे, अपहरण करके बलात्कार किया। दो अभियुक्तों को धारा 376, भा0दं0सं0 के अंतर्गत, अभियोक्त्री के ही परिवार का सदस्य एवं सभ्य परिवार का होने के कारण, 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। उक्त आधार न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष से कम दिये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

क्रमांक 6- अभियुक्त ने अपने ही मालिक की 18-19 वर्षीय अविवाहित पुत्री का अपहरण करके बलात्कार किया तथा न्यायालय में अपना अपराध भी स्वीकार किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में काटी गई अवधि की सजा से, जो लगभग 5 माह थी, इस आधार पर दण्डित किया गया कि अभियुक्त 20-22 वर्ष का नवयुवक है और जेल में पेशेवर अपराधियों की संगति से बचाना आवश्यक है। यह कारण भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यूनतम से कम दण्ड देने हेतु किसी स्पष्ट और पर्याप्त कारण का होना आवश्यक है। उक्त आधार प्रत्येक मामले में लागू हो सकता है, इसलिए यह पर्याप्त आधार नहीं है।

क्रमांक 60- अभियुक्त ने 18 वर्षीय विवाहित महिला का अपहरण करके बलात्कार किया। अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं रु0 1,000/- अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

क्रमांक 64- तीन अभियुक्तों द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसमें एक

old minor girl. One of them was found guilty u/s. 376 I.P.C. and was sentenced to rigorous imprisonment for 10 years. No fine was imposed and no reasons were given for the same.

serial No.65: The same presiding officer convicted and sentenced to undergo rigorous imprisonment for 10 years and to pay a fine of Rs.10,000/- to an accused who had kidnapped and raped a minor girl.

It appears from the above noted analysis that Courts intends to impose a punishment higher than the minimum prescribed by law, but probably the Court were not knowing the minimum sentence for the offence prescribed by law. Being ignorant of the minimum sentence prescribed by law, Courts have awarded a sentence which is less than the minimum sentence prescribed by law.

S.No.	Nature	No. of	Average sentence (in years)
1.	Rape with step daughter	1	10
2.	Rape by plice officer with a women at the police station or in his custody.	2	6.5
3.	Cases when accused commiitted rape as trustee	6	5.91
4.	Rape with Harijan Lady	1	7
5.	Committing rape under fear	6	7.5
6.	Rape with a minor girl below 12 years of age	14	3.85
7.	Rape with a insane handicapped, minor girl	2	3.5
8.	gang rape	12	6.33
9.	Kidnapping/Abduction and rape	21	6.21

अभियुक्त को धारा 376, भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया, अर्थदण्ड की सजा नहीं दी गई तथा किसी कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया।

क्रमांक 65- उन्हीं न्यायेक अधिकारी द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण करके बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु0 10,000/- का अर्थदण्ड भुगतने का दण्ड दिया गया।

उपरोक्त मामलों की विवेचना से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड अथवा उससे अधिक दंड दिया जाना था, किन्तु संभवतः न्यायालय को संबंधित अपराध के न्यूनतम दंड की जानकारी नहीं थी। विधि द्वारा प्राविधानित न्यूनतम दंड की अज्ञानता में न्यायालय द्वारा दंड को कम न करने का आशय होते हुए भी अभियुक्त के विरुद्ध न्यूनतम से भी कम दंड पारित कर दिया गया।

क्रमांक	मामले का प्रकार	मामलों की संख्या	औसतदण्ड वर्षों में
1.	सौतेली पुत्री से बलात्कार	1	10
2.	पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन अथवा उसकी अपनी अभिरक्षा की कोई महिला के साथ किया गया बलात्कार	2	6.5
3.	मामले जिनमें अभियुक्त द्वारा न्यासी के रूप में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाना	6	5.91
4.	हरिजन युवती के साथ बलात्कार	1	7
5.	भय दिखा कर बलात्कार करना	6	7.5
6.	नाबालिग(12 वर्ष से कम) आयु की बालिका के साथ बलात्कार	14	3.85
7.	अपंग पागल अल्पवयस्क बालिका के साथ बलात्कार		
8.	कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार	12	6.33
9.	अपहरण/व्यपहरण करके बलात्कार करना	21	6.21

(x) Case where compensation was awarded to the prosecutrix

No. of cases	Case in which compensationis given to prose-cutrix	percentage
73	2	2.83

This table shows that out of 73 cases in two cases compensation was awarded to the prosecurix. Victim faces a lot of mental torture in cases of rape. Although, this agony cannot be put to an end by granting compensation to victim but its pain can be reduced to a certain extent.

It has been held by the Supreme Court to award exampelary compensation in such type of cases which fulfills two objects. Firstly, the effected party or victim gets the compensation and secondly, the guilty persons may be corrected to some extent.

4. Cases of express mistake

(a) Cases, in which a sentence adverse to as prescribed by law is imposed.

Sec. 376(1) I.P.C. provides that a person guilty of rape may be sentenced to imprisonment for life. Sec.4 of Probation of offenders Act,1958 provides that in cases, where sentence of imprisonment for life can be awarded, accused cannot be released on probatiion giving the benefit of the Act.

‡X‡ मामले, जिनमें अभियोक्त्री को आर्थिक प्रतिकर दिलाया गया

कुल मामलों की संख्या	मामले, जिनमें आर्थिक प्रतिकर दिलाया गया	प्रतिशत
73	2	2·83

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 73 में से कुल 2 मामलों में न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री को आर्थिक प्रतिकर दिलाया गया। बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री को भीषण मानसिक त्रासदी का समाना करना पड़ता है। यद्यपि प्रत्येक मामले में आर्थिक प्रतिकर से उस त्रासदी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसकी पीड़ा किसी सीमा तक कम अवश्य की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार भी, इस प्रकार के मामले में अनुकरणीय आर्थिक प्रतिकर दिलवाया जाना चाहिए, जिससे मुख्य रूप से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रथमतः, पीड़ित पक्ष को आर्थिक प्रतिकर प्राप्त हो जाता है द्वितीय, दोषी व्यक्ति को किसी सीमा तक सही भी किया जा सकता है।

4· प्रत्यक्ष भूल के मामले:

‡अ‡ मामले, जिनमें विधि द्वारा निर्धारित दण्ड के प्रतिकूल दण्ड दिया गया :

धारा 376‡1‡ भा0दं0सं0 के अनुसार, बलात्कार के दोषी अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स ऐक्ट, 1958 की धारा-4 के अनुसार उन मामलों में, जिनमें आजीवन कारावास तक का दण्ड प्राविधानित है, अभियुक्त को उक्त अधिनियम का लाभ देते हुए परीविक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

A child below 16 years of age is "juvenile " as per Sec.2(h) of Juvenile justice Act,1986. A juvenile cannot be tried by the sessions court . He should be tried by the juvenile court.

Comperative study of the abovementioned provisions shows that in cases punishable with life imprisonment or death penalty, if the age of accused is below 16 years, than he shall be tried by the juvenile court and if his age is above 16 years, benefit of Probation of offenderds Act, 1958 cannot be given to him.

In this project in,6 out of 73 cases benefit of probation of offenders Act.1958 was given to accused and they were released an probation.

S.No.	Age of accused	Minimun and Maximum sentence prescribed by law	Grounds for sentencing	legality of sentence
		Case, in which benefit of probation of offenders Act,1958, is wrongly given		
1.	Below 18 years	7 years or life imprisonment	accused are not previous convicts, of young age and good character, hence released on probation	In cases, where life imprisonment can be awarded,benefit of probation of offenders Act can not be given.

किशोर न्याय अधिनियम,1986 की धारा 2(एच) के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु का बालक "किशोर" की श्रेणी में आता है। "किशोर" का विचारण सामान्य सत्र न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है अपितु किशोर न्यायालय द्वारा ही उसका विचारण किया जा सकता है।

उक्त दोनों प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दण्डनीय मामलों में, यदि अभियुक्त की आयु 16 वर्ष से कम है तो उसका विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया जाएगा व यदि 16 वर्ष से अधिक है तो उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

शोध कार्य में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 73 में से 6 मामलों में अभियुक्त को उक्त अधिनियम का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर रिहा किया गया है।

क्रमांक	अभियुक्त की आयु	विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम दण्ड	दण्ड दिए जाने के आधार	दण्ड की वैधानिकता
1	2	3	4	5
मामले जिनमें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958 का लाभ नहीं दिया जा सकता था				
1.	18 वर्ष से कम	सात वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास	अभियुक्त पूर्व में दण्डित नहीं हुए हैं युवावस्था के हैं व खराब चरित्र नहीं है, अतः उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया गया।	आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय मामलों में "प्रथम अपराध परिवीक्षा अधिनियम" का लाभ नहीं दिया जा सकता है

2.	20 years	-do-	(1)Accused is a young boy of 20 years. (2)He would became a hardened criminal in company with other habitual offenders. (3)It would be proper to release accused on probation giving the benefit of Probation of offenders Act.	-do-	
3.	17-18 years	-do-	It is proper to release accused, being a youngman, on probation.	-do-	

Case in which accused should have been tried by the Juvenile Courts under the Juvenile Justice Act, but tried by the Sessions Court.

4.	15 years	-do-	Accused released on probation on the basis of his young age	Occurrence took place on 28.4.88. Juvenile Justice Act, 1986 have come in force w.e.f. 2.10.1986 Trial should be made by the Juvenile court but accused was tried by sessions court which is illegal.

2	20 वर्ष	सात वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास	§1 §अभियुक्त 20 वर्ष का नवयुवक है। §2 जेल भेजने से वह अन्य बंदियों की सोहबत में रह कर अपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। §3 धारा-4, यू0पी0 एक्ट आफेन्डर्स ऐक्ट का लाभ देकर अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित होगा।	आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय मामलों में यू0पी0एक्ट आफेन्डर्स ऐक्ट के अन्तर्गत परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
3.	17-18 वर्ष	तदैव	अभियुक्त के नवयुवक होने के कारण उसे परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है।	

मामले जिनमें अभियुक्त का विचारण किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, किशोर न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था किन्तु सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया-

4.	15 वर्ष	तदैव	अभियुक्त की आयु को दृष्टिगत रखते हुए परिवीक्षा पर रिहा किया	घटना 28.4.88 को घटित हुई। किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित हो चुका था। अभियुक्त का विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया जाना था, किन्तु सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया गया, जो अवैधानिक है।

5.	Minor	-do-	Accused is minor. It is proper to release him on probation.	1.Occurrence took place on 20.11.87 Juvenile Justice Act,1986,Came in to force from 2.10.86.Accused should have been tried by Juvenile Court but was tried by Session Court Illegally. 2.Even,if accused is not covered under the definition of "juvenile", sufficient reasons should have been mentioned by the court but no such ground is mentioned.
6.	15 Years	-do-	Accused being below 16 years of age,isreleased on probation of good conduct and behaviour for three years.	Occurrence took place on 26.9.87,Court held the age of accused as 15 years on the date of occurrence,Juvenile Justice Act came into force in 1986,hence accused should have been tried by the juvenile court.

Serial No.1 : Two accused persons raped a minor girl of 11-12 years.They were released on probation on the ground that they are below 16 years of age, having no previous criminal history with a good character.

Serial No.2 :Accused aged 20 years raped a 11 years old minor girl.Accused was released on probation on the ground that he is a young boy and he may come in contact with hardened criminals if he is send to jail. These grounds were irrelevant.

5.	नाबालिग	सात वर्ष का न्यूनतम कारावास अधिकतम आजीवन कारावास	अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जाना उचित होगा।	1. घटना दिनांक 20.11.87 की है, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 दिनांक 2.10.86 को लागू हो चुका है। अभियुक्त का परीक्षण किशोर न्यायालय द्वारा किया जाना था, किन्तु सामान्य सत्र न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण किया गया है, जो अवैधानिक है। 2. यदि अभियुक्त "किशोर" की परिभाषा में भी नहीं आता है तो भी न्यूनतम से कम दण्ड दिये जाने का कोई आधार दर्शाया जाना चाहिए था, किन्तु उसे नहीं दर्शाया गया।
6.	15वर्ष	सात वर्ष का न्यूनतम कारावास अधिकतम आजीवन कारावास	अभियुक्त की आयु 16 वर्ष से कम होने के कारण उसे तीन वर्ष तक अच्छा चाल-चलन व नेक चलनी के लिए परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है।	घटना दिनांक 20.9.87 की है। निर्णय के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त की आयु 15 वर्ष थी। वर्ष 1986 में किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया था, अतः अभियुक्त का विचारण किशोर-न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था।

मास्टर चार्ट, क्रमांक 1- दो अभियुक्तों द्वारा 11-12 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्तगण को किसी पूर्ववर्ती अपराध में सम्बद्ध न होने, 16 वर्ष से कम आयु एवं खराब चरित्र न होने के आधार पर परिवीक्षा पर रिहा किया गया।

क्रमांक 2—20 वर्षीय अभियुक्त द्वारा 11 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्त की युवावस्था एवं जेल में कठोर अपराधियों की संगत से बचाने के उद्देश्य से उसे परिवीक्षा पर रिहा किया गया उक्त आधार असंगत थे।

Serial No.3: Accused aged about 17, 18 years raped a 9 years old girl and was released an probation as his being a young boy.

Serial No.4: Occurrence took place on 28.4.88, court hold the age of accused as 15 years on the date of occurrence. A minor girl of 5,6 years was raped by the accused. Sessions Court released the accused on probation giving him the benefit of probation of offenders Act,1958.

Serial No.5: A 10 years old girl was raped by accused aged about 15,16 years on 21.11.87. Case was committed to the court of sessions on 20.1.88 and accused was released on probation on 9.5.88 giving the benefit of sec.4 probation of offenders Act,1958 and U.P. Childrens Act 1951. Admittedly accused was a juvenile on the date of occurrence. In this matter too, only Juvenile court was competent to try the accused. Trial by any other court was illegal and against the provision of law.

Serial No.58: A young girl of 12 years was raped by 16 years old accused on 26.9.87. Accused remained in jail during investigation and trial. He was convicted and released or probation.

क्रमांक 3 - 17-18 वर्षीय अभियुक्त द्वारा 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्त की युवावस्था एवं जेल में कठोर अपराधियों की संगत से बचाने के उद्देश्य से उसे परिवीक्षा पर रिहा किया गया उक्त आधार असंगत थे।

क्रमांक 4 - घटना की तिथि दिनांक 28·4·88 थी। घटना की तिथि को अभियुक्त की आयु 15 वर्ष होना न्यायालय ने माना। अभियुक्त द्वारा 5-6 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स ऐक्ट,1958 का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर रिहा किया गया।

क्रमांक 5 - दिनांक 21·11·87 को 15-16 वर्षीय अभियुक्त द्वारा 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया। दिनांक 20·1·88 को मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द हुआ एवं निर्णय दिनांक 9·5·88 के अनुसार प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स ऐक्ट,1958 की धारा 4 एवं उ0प्र0 बाल अधिनियम,1951 के प्रावधानों के अंतर्गत उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। स्वीकृत रूप से घटना की तिथि को अभियुक्त, किशोर न्याय अधिनियम ,1986 के अनुसार, किशोर की परिभाषा के अन्तर्गत था। इस मामले में भी अभियुक्त का विचारण मात्र किशोर न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता था, अन्य किसी न्यायालय द्वारा किया गया उसका विचारण अवैधानिक एवं विधि विरुद्ध था ।

क्रमांक 58- दिनांक 26·9·87 को 16 वर्ष से कम आयु के अभियुक्त द्वारा 12 वर्षीय कन्या के साथ बलात्कार किया गया। विवेचना एवं परीक्षण के दौरान अभियुक्त जेल में भी रहा, तदुपरान्त अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा उसे परिवीक्षा पर रिहा किया गया।

Juvenile Justice Act came into force in the year 1986 in which a child below 16 years was defined as a "Juvenile" A "juvenile" can be tried by the Juvenile Court only and cannot be tried by any other court. He cannot be send to jail in any condition.

It is clear from the aforesaid analysis that provisions of Juvenile Justice Act 1986 and Probation of offenders Act 1958 have not been properly applied by the Courts. Courts are illegally trying the cases of juveniles while their jurisdiction was expressly barred by the Juvenile justice Act 1986 to try such cases. Accused are released on probation by giving the benefit of Probation of offenders Act,1958, although provisions of probation of offenders Act, 1958 were not applicable. Both the situations are against the law.

(b) Cases where similar sentence was given in different circumstances.

73 judgments of conviction are received by us in which courts have awarded sentences of probation to 10 years rigorous imprisonment. Where facts and circumstances of the case are similar there should not be any difference in the quantum of sentence. Likewise, similar sentence cannot be passed in cases having different facts and circumstances, but if established principles of sentenceing has not been followed than it is obvious that court has not considered the relevant groundsat the time of sentencing the accused.

वर्ष 1986 में किशोर न्याय अधिनियम लागू किया गया, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बालक को किशोर माना गया। किसी किशोर के विचारण का क्षेत्राधिकार एकमात्र किशोर न्यायालय को प्राप्त है। उक्त अधिनियम के लागू होने के उपरान्त कोई भी सामान्य न्यायालय किसी किशोर का विचारण नहीं कर सकता है एवं किसी भी परिस्थिति में उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है।

उपरोक्त मामलों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 एवं प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स ऐक्ट,1958 के प्राविधानों को उचित व वैधानिक रूप से न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया है। ऐसे मामले, जिनमें किशोर न्याय अधिनियम,1986 के लागू होने के उपरान्त सामान्य न्यायालय द्वारा विचारण की शक्ति ही समाप्त कर दी गई है, उन न्यायालयों द्वारा किशोर अभियुक्तों का अवैधानिक रूप से विचारण किया गया है। ऐसे मामले, जहाँ प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स ऐक्ट,1958 लागू ही नहीं होता है, वहां उक्त अधिनियम को लागू करके अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। यह दोनों ही परिस्थितियाँ विधि विरुद्ध हैं।

(ब) मामले, जिनमें आधारों की भिन्नता होते हुए भी समान दण्ड दिया गया :-

इस शोध कार्य में कुल 73 निर्णय प्राप्त हुए, जिनमें विभिन्न निर्णयों में न्यायालयों द्वारा परिवीक्षा पर रिहा करने तथा 2,3,4 व 10 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किये गए हैं। मामले के तथ्य व परिस्थितियाँ एक समान होने की स्थिति में दण्डादेश में भिन्नता होने का कोई आधार व औचित्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार भिन्न आधार व परिस्थितियों के रहते हुए एक प्रकार के दण्डादेश भी पारित नहीं होने चाहिए, किन्तु यदि उन सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत दण्डादेश पारित किया गया है तो यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित करते समय सुसंगत आधारों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

Following table shows that courts have passed the similar sentence even though the grounds were different. (Grounds has been shown by numericals which indicate the numbers as shown in the master chart.)

S.No.	Sentence passed	Grounds for enhancement of sentence	For reducing the sentence
1.	Released on probation	2,8,10,11	
2.	-do-	2,11	
3.	-do-		28
4.	-do-		15
5.	-do-	2	
6.	-do-	2	
58.	-do-	2	
9.	Rigorous imprisonment for 2 years	5,10,	14
10.	-do-	2,10,12	
11.	Rigorous imprisonment for 3 years	2,10,12	
12.	-do-	2	28
13.	-do-	2,10	
14.	-do-	-	-
15.	-do-	6,10	
16.	-do-	3	
17.	Rigorous imprisonment for 4 years	2	
18.	-do-	2	
19.	-do-	2	
20.	-do-		28
21.	-do-		28
22.	-do-	3,7	
23.	-do-	6	
24.	-do-	3,7	

शोध कार्य में प्राप्त निर्णयों के निम्न लिखित आकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न आधारों के होते हुए भी न्यायालय द्वारा समान दण्ड धारित किया गया था। (आधारों को आंकड़ों की संख्या से दर्शाया गया है, जो आंकड़े मास्टर चार्ट के कालम को रेखित करते हैं)

मामलों की संख्या	धारित दण्डादेश	आधार संख्या: अधिक दण्ड हेतु आधार	आधार संख्या: न्यूनकारी आधार
क्रमांक-1	परिवेक्षा पर रिहा किया गया	2,8,10,11	
क्रमांक-2	" " " " "	2,11	
क्रमांक-3	" " " " "		28
क्रमांक-4	" " " " "		15
क्रमांक-5	" " " " "	2	
क्रमांक-6	" " " " "	2	
क्रमांक-58	" " " " "	2	
क्रमांक-9	2 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड	5,10	14
क्रमांक-10	2 वर्ष के " " " "	2,10,12	
क्रमांक-11	3 वर्ष के " " " "	2,10,12	
क्रमांक-12	" " " " " " "	2	28
क्रमांक-13		2,10	
क्रमांक-14	" " " " " " "	----	
क्रमांक-15	" " " " " " "	6,10	
क्रमांक-16	" " " " " " "	3	
क्रमांक-17	4 वर्ष के " " " "	2	
क्रमांक-18	" " " " " " "	2	
क्रमांक-19	" " " " " " "	2	
क्रमांक-20	" " " " " " "		28
क्रमांक-21	4 वर्ष के " " " "		28
क्रमांक-22	" " " " " " "	3,7	
क्रमांक-23	" " " " " " "	6	
क्रमांक-24	" " " " " " "	3,7	

25.	Rigorous imprisonment for 4 years		19,20,27
26.	-do-	10	21,28
27.	-do-	2	22
28.	Rigorous imprisonment for 5 years	13	22
29.	-do-	3	
30.	-do-		27
31.	-do-	13	
32.	-do-	-	
33.	-do-	4,7	28
34.	-do-	4	-
35.	-do-	-	-
36.	-do-	-	-
38.	Rigorous imprisonment for 7 years	2	26,27
39.	-do-	13	
40.	-do-	-	
41.	-do-	7,9	
42.	-do-	7	
43.	-do-	1	26
44.	-do-	3	
45.	-do	9	
46.	-do-	9	
47.	-do-	-	22
48.	-do-	2	
49.	-do-	2,10	
51.	Rigorous imprisonment for 8 years	13	
52.	-do-	3,13	25
53.	-do-	9	16
54.	-do-	6	16
55.	-do-		24
56.	-do-	7	22
57.	Rigorous imprisonment for 10 years	2,3,7	

क्रमांक-25	" " " " " " "		19,20,27
क्रमांक-26	" " " " " " "	10	21,28
क्रमांक-27	" " " " " " "	2	22
क्रमांक-28	5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड	13	22
क्रमांक-29	" " " " " " "	3	
क्रमांक-30	" " " " " " "		27
क्रमांक-31	" " " " " " "	13	
क्रमांक-32	" " " " " " "	--	
क्रमांक-33	" " " " " " "	4,7	
क्रमांक-34	" " " " " " "	4	28
क्रमांक-35	" " " " " " "	--	
क्रमांक-36	" " " " " " "	--	
क्रमांक-38	7 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड	2	26,27
क्रमांक-39	" " " " " " "	13	
क्रमांक-40	" " " " " " "	--	
क्रमांक-41	" " " " " " "	7,9	
क्रमांक-42	" " " " " " "	7	
क्रमांक-43	" " " " " " "	1	26
क्रमांक-44	" " " " " " "	3	
क्रमांक-45	" " " " " " "	9	
क्रमांक-46	" " " " " " "	9	
क्रमांक-47	" " " " " " "		22
क्रमांक-48	" " " " " " "	2	
क्रमांक-49	" " " " " " "	2,10	
क्रमांक-51	8 वर्ष " " " " "	13	
क्रमांक-52	" " " " " " "	3,13	25
क्रमांक-53	" " " " " " "	9	16
क्रमांक-54	" " " " " " "	6	16
क्रमांक-55	" " " " " " "		24
क्रमांक-56	" " " " " " "	7	22
क्रमांक-57	10 वर्ष" " " " "	2,3,7	

58.	-do-	--	
59.	-do-	--	
60.	-do-	7	
61.	-do-	7	
62.	-do-	3	
63.	-do-	13	
64.	-do-		28
65.	-do-		28
66.	-do-		28
67.	-do-	--	
68.	-do-	7	
69.	-do-	4,7	16
70.	-do-	--	
71.	-do-		28
72.	-do-	2,4	
73.	-do-	7,9	26

It is clear from the study that the Courts have not properly considered the grounds which could either reduce or enhance the sentence imposed upon the accused.

क्रमांक-58	"	"	"	"	"	"	"	---	
क्रमांक-59	"	"	"	"	"	"	"	---	
क्रमांक-60	"	"	"	"	"	"	"	7	
क्रमांक-61	"	"	"	"	"	"	"	7	
क्रमांक-62	"	"	"	"	"	"	"	3	
क्रमांक-63	"	"	"	"	"	"	"	13	
क्रमांक-64	"	"	"	"	"	"	"		28
क्रमांक-65	"	"	"	"	"	"	"		28
क्रमांक-66	"	"	"	"	"	"	"		28
क्रमांक-67	"	"	"	"	"	"	"	---	
क्रमांक-68	"	"	"	"	"	"	"	7	
क्रमांक-69	"	"	"	"	"	"	"	4,7	16
क्रमांक-70	"	"	"	"	"	"	"	---	
क्रमांक-71	"	"	"	"	"	"	"		28
क्रमांक-72	"	"	"	"	"	"	"	2,4	
क्रमांक-73	"	"	"	"	"	"	"	7,9	26

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे आधार, जो न्यूनकारी हैं अथवा जिनसे सजा की मात्रा बढ़ सकती है, उन आधारों को उचित रूप से दण्डादेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।

CONCLUSIONS

(i) To summarise the analysis of the data studied in this project, it can be seen that more than 2/3rd of the cases of rape are reported from the rural areas, the percentage of such cases being 68.49 While in only 21.92% cases, the prosecutrix was resident of an urban area.

(ii) The figures also show that in 60.27% cases rape were committed on unmarried girls while 38.50% women, subjected to rape, were married.

(iii) It was also found that the average sentence awarded to accused, who had committed rape on unmarried women, was 6.33 years while the sentence imposed on the accused found guilty of having committed rape on a married women was 6.51 years. This pattern of sentencing is against the common belief that rape on unmarried girl should attract more severe sentence because in addition to the physical and mental trauma resulting from rape, she additionally has a stigma attached which zeopardises her chances of happy marriage life. It is also more shocking experience by girl who is not used to sexual intercourse and likely to affect her psychologically much more.

(iv) Most of the cases of rape related to woman between 18 & 21 years of age, being 24.65% of the entire number of cases while girls between 16 & 18 years were the next largest victims being 18.43% of the total number of cases. The girls between 12 to 16 years constituted 17.80%, between 7 & 12 years 16.43%, upto 7 years of age were 6.84% while between 21 & 35 years constituted 4.10% of the total number of women subjected to rape.

निष्कर्ष

(i) शोध कार्य में अध्ययन किए गए आंकड़ों के आधार पर सूक्ष्म में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बलात्कार के दो-तिहाई मामले ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिनका प्रतिशत 68·49 है, जबकि मात्र 21·92 प्रतिशत मामलों में अभियोक्त्री शहरी परिवेश की निवासी थी।

(ii) 60·27 प्रतिशत मामलों में अविवाहित युवती के साथ बलात्कार किया गया, जबकि 38·50 प्रतिशत मामलों में बलात्कार से पीड़ित महिला विवाहित थी।

(iii) अविवाहित महिलाओं के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त को औसत दण्ड 6·33 वर्ष का दिया गया, जबकि विवाहित महिलाओं के साथ दोषी पाए गए अभियुक्त को 6·15 वर्ष का औसत दण्ड दिया गया। दण्ड देने का यह तरीका सामान्य विश्वास के विपरीत है। अविवाहित युवतियों के साथ बलात्कार के दोषी अभियुक्त को अधिक कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि बलात्कार के कारण शारीरिक व मानसिक तनाव के साथ-साथ उसके ऊपर एक दाग भी लग जाता है जो उसके सुखी वैवाहिक जीवन की सभी आशाओं को क्षीण कर देता है। अविवाहित युवती, जो सम्भोग की आदी नहीं हैं, के लिए यह एक उद्वेगकारी अनुभव होता है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करता है।

(iv) बलात्कार के अधिकतम मामले 18-21 आयु वर्ष के मध्य की महिलाओं से संबंधित थे, जो कुल मामलों के 24·65 प्रतिशत हैं जबकि 16-18 आयु वर्ष के मध्य की युवतियों के 18·43 प्रतिशत मामले हैं। 12-16 आयु वर्ष के मध्य की बालिकाओं के 17·80 प्रतिशत, 7-12 आयु के वर्ष के मध्य की बालिकाओं के 16·43 प्रतिशत, 7 वर्ष तक की आयु की बालिका 6·84 प्रतिशत व 21-35 आयु वर्ष के मध्य की महिलाओं के 4·10 प्रतिशत मामले हैं।

(v) The average sentence of 8 years was awarded to the persons who had committed rape on girls upto 7 years of age and between 16 & 18 years. Those who had raped girls between 18 & 21 years of age were awarded an average sentence of 7 years while the one who had committed this offence in respect of girl, between 7 & 16 years were awarded 6 years imprisonment on average. The accused who were found having committed rape on women between 21 to 35 years were awarded average sentence of 5 years.

(vi) Study disclosed some cases in which the sentences awarded was totally irrational. Those case have specifically pointed out.

(vii) The study also disclosed that 65.75% women subjected to rape were found to be habitual to sexual intercourse while 17.81% were not so habitual and the rape had been their first experience. In 16.44% of the cases this aspect was not clear.

(viii) The pattern of sentence was, however, contrary to the logical one in as much as the average sentence awarded to persons who had committed rape on girls used to sexual intercourse was 6.48 years while the accused found guilty by molesting the virgins had an average of 5.77 years of imprisonment awarded to them.

(ix) Some cases were found where the courts had imposed lesser than the minimum sentence prescribed for no cogent reason. They have been detailed in the study. The custodial rapes by the police officers resulted in an average sentence of 6.58 years as against 10 years prescribed by law. Similarly in cases of gang rape the sentence was only 6.33 years. Even in cases where the rape was accompanied by kidnapping

(v) 7 वर्ष तक की आयु एवं 16-18 आयु वर्ष के मध्य की बालिकाओं के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त को औसत दण्ड 8 वर्ष का दिया गया। 18-21 आयु वर्ष के मध्य की महिलाओं के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त को औसत दण्ड 7 वर्ष, जबकि 7-16 आयु वर्ष के मध्य की बालिकाओं के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त को औसत दण्ड 5 वर्ष का दिया गया।

(vi) शोध कार्य के अंतर्गत कुछ मामलों में दण्ड अपराध से पूर्णतया असंगत पाया गया। वे मामले स्थान-स्थान पर अंकित किए गए हैं।

(vii) 65.75 प्रतिशत मामलों में बलात्कार से पीड़ित महिला सम्भोग की आदी नहीं पाई गई और बलात्कार उनके लिए पहला अनुभव था। 16.44 प्रतिशत मामलों में निर्णय से यह स्थिति स्पष्ट न हो सकी।

(viii) उक्त मामलों में दण्ड की मात्रा युक्तियुक्त, तर्कसंगत नहीं पाई गई, क्योंकि सम्भोग की आदी महिलाओं के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त को औसत दण्ड 6.48 वर्ष का दिया गया, जबकि जिन मामलों में पीड़ित महिला सम्भोग की आदी नहीं थी- उनमें औसत दण्ड 5.77 वर्ष का दिया गया।

(ix) कुछ मामलों में यह पाया गया कि न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम दण्ड से भी कम दण्ड, बिना किसी उचित आधार के, दिया। वे मामले स्थान-स्थान पर अंकित हैं।

पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा की युवती के साथ बलात्कार के मामले में औसत दण्ड 6.58 वर्ष का दिया गया, जबकि विधि द्वारा न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से सामूहिक बलात्कार के मामलों में औसत दण्ड 6.33 वर्ष का दिया गया है। जिन मामलों में अपहरण/व्यपहरण करने के बाद बलात्कार किया गया है,

or abduction, the average sentence was only 6.21 years.

(x) Only in 2.83% cases, the victim was awarded the compensation.

(xi) It was also discovered that in 4% cases the juveniles were tried by the regular courts.

(xii) It was also noticed that in identical circumstances varying sentences were awarded while totally dissimilar circumstances had the same sentence imposed showing absence of uniformity.

(xiii) In certain cases, the benefit of the probation of offenders Act was wrongly given. Specific cases have been detailed in the study.

(xiv) This study discloses a patent absence of awareness in the judges about the principles of sentencing. The aforesaid observations lead to an inevitable conclusions that the judges while fixing the sentence do not consider the relevant criterion, resulting in subjectivity and arbitrariness apparent from the factum of sentences.

(xv) It can also be assumed that most of the judges are not even aware that quantification of sentence being an exercise of judicial discretion, has to rest on relevant principles.

(xvi) Some of the judges were also found unaware of statutory provisions relating to sentencing which are contained in the provisions of Indian Penal Code itself while fixing the minimum sentence or in Juvenile Justice Act or in Probation of Offenders Act.

उनमें भी औसत दण्ड मात्र 6-12 वर्ष का दिया गया है।

| x | मात्र 2-83 प्रतिशत मामलों में अभियोक्त्री को प्रतिकर दिलवाया गया।

|x| यह पाया गया कि 4 प्रतिशत मामलों में सामान्य न्यायालय द्वारा किशोरों का विचारण किया गया है।

|xi| यह भी पाया गया कि समान परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न दण्ड दिए गए हैं, जबकि पूर्णतया भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के मामलों में एक ही दण्ड परिदत्त किए गए हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि दण्ड देने में एकरूपता नहीं है।

|xii| कुछ मामलों में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का गलत रूप से लाभ प्रदान किया गया है। विशिष्ट मामले रिपोर्ट में स्थान-स्थान पर अंकित हैं।

|xiv| शोध कार्य से यह स्पष्ट हुआ कि न्यायाधीशों में दण्डादेश पारित करने के सिद्धान्तों की जानकारी का पूर्ण अभाव है। उक्त अभिमत से यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि न्यायाधीशों द्वारा दण्ड निर्धारित करते समय सुसंगत आधारों पर विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप दण्ड की मात्रा से व्यक्तिपरक एवं मनमानापन लक्षित होता है।

|xv| यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकतर न्यायाधीशों को यह जानकारी नहीं है कि चूंकि दण्ड का परिमाणन न्यायिक विवेकाधिकार के अंतर्गत किया जाता है, अतः इसे सुसंगत सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए ।

|xvi| यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में, किशोर न्याय अधिनियम या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम दण्ड का लाभ प्रदान करते समय, न्यायालय को भारतीय दण्ड संहिता में अनुध्यात दण्डादेश से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी नहीं थी।

Suggestions

The object of this study was to identify the principles which have been followed by the superior courts in quantification of sentences and then to examine the sentencing decisions of the trial courts with a view to find whether they have followed those principles while fixing sentences in cases of rape. This study is based on the principle that every exercise of judicial discretion should respond to some relevant principles and should not be totally subjective in which case it would cease to be an exercise of judicial discretion but become an arbitrary exercise of power.

This study has disclosed that in an overwhelming number of cases no determinants have been applied at all explicitly and, therefore, demonstrably they are subjective conclusions. Their subjectivity is reinforced by the observation that in identical situations sentences have varied considerably and some times they have disregarded even the explicit provisions of law. This negates the rule of law. Enforcement of subjective decisions not responding to any objective rule is not permissible in a rule of law polity. Different sentences in identical situations is a manifestation of injustice to one who is give a more serious sentence, and perceived as such by the complainant in case in which lesser sentence is awarded.

With the aforesaid conclusions, it is necessary that this process of sentencing is rendered rational and in harmony with the rule of law, in addition to being more just, by taking the following steps :

सुझाव-

इस अध्ययन का प्रयोजन दण्डादेश के परिमाणन में उच्चतर न्यायालयों द्वारा अनुसरित सिद्धान्तों को अभिज्ञापित करना तथा, तत्पश्चात्, दण्डादेश निर्णयों का परीक्षण इस दृष्टि से किया जाना था कि, क्या बलात्कार के मामलों में विचारण न्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिरोपित करते समय उन सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया। यह अध्ययन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग कुछ सुसंगत सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए तथा व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग की समाप्ति तथा शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिसंख्य मामलों में स्पष्ट तथा कोई निश्चायक सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया गया है एवं वे स्पष्टतः एवं प्रदर्शतः व्यक्तिपरक निष्कर्ष हैं। उनकी व्यक्तिपरकता इस सम्प्रेक्षण द्वारा पुनः प्रदर्शित होती है कि समान परिस्थितियों के मामलों में दण्डादेश में पर्याप्त विभेदता है एवं कुछ में तो विधि के स्पष्ट उपबंधों की उपेक्षा की गई है। यह विधि के शासन को नकारता है। व्यक्तिपरक निर्णयों का प्रवर्तन, जो किसी वस्तुनिष्ठ नियम के प्रतिरूप नहीं है, विधि के शासन की राज्य-व्यवस्था में अनुमत नहीं है। समान परिस्थितियों में पारित विभिन्न दण्डादेश उस व्यक्ति के लिए अन्याय की अभिव्यक्ति होगी जिसे अधिक दण्ड प्रदान किया गया हो एवं परिवादी द्वारा अनुभव किया जायगा, जहाँ कम दण्ड प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त निष्कर्षों से यह आवश्यक है कि निम्नलिखित कदम उठाते हुए दण्डादेश देने की प्रक्रिया को तर्कसंगत एवं विधि के शासन से सामन्जस्य स्थापित करते हुए अधिक न्यायिक बनाया जाए-

(1) It should be ensured that all the courts are made aware of -

(i) the existing variations in sentencing and need to rationalize sentencing.

(ii) need to make the sentencing fairly uniform if the cirumstances are identical.

(iii) the principles governing the sentencing as identified in the study and

(iv) the determinants and their relative role in quantification of sentences.

(2) A periodical checking of the sentences passed by different courts be made by the Sessions Judge/High Court/Institute of Judicial Training & Research U.P., Lucknow. A special training should be given to those officers whose sentences are found to be irrational.

|1| यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त न्यायालयों को-

|अ| दण्डादेश प्रदान करने में वर्तमान विसंगतियों एवं दण्डादेश की तर्कसंगतता की आवश्यकता

|ब|समान परिस्थितियों के मामलों में दण्डादेश की समानता की आवश्यकता,

|स| दण्डादेश पारित करने हेतु शोध कार्य में पाए गए सिद्धान्तों की जानकारी तथा,

|द| दण्डादेश की युक्तिसंगतता हेतु आवश्यक निर्धारक एवं उनकी सक्रिय भूमिका,

की जानकारी होनी चाहिए।

|2| विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित दण्डादेशों का सत्र न्यायाधीश/उच्च न्यायालय/न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा समय-समय पर परीक्षण होना चाहिए। वे अधिकारी, जिनके द्वारा पारित दण्डादेश तर्कसंगत न पाए जाएं, को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।